अध्याय XII : इस्पात मंत्रालय

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

12.1 कोयला का आयात, शिपिंग और परिवहन

12.1.1 प्रस्तावना

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल अथवा कम्पनी) इस्पात उत्पादों का विनिर्माण करता है और लगभग 15 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) कोकिंग कोयला वार्षिक की आवश्यकता है जिसमें से 12-13 एमएमटी आयात किया जाता है। कोकिंग कोयला यातो वैश्विक निविदाओं के माध्यम से अथवा दीर्घावधि अनुबन्धों (एलटीए) के माध्यम से आयात किया जाता है। कम्पनी का कोयला आयात समूह (सीआईजी) कोयला के आयात के लिए उत्तरदायी है। आयात संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त संयुक्त समिति (सेल तथा आरआईएनएल से बनी) तथा सेल निदेशक समिति (एसडीसी) की सीआईजी सहायता करता है। कम्पनी का परिवहन तथा शिपिंग विभाग (टीएसडी) आयातित कोयला तथा लाइमस्टोन के जहाजों की चार्टरिंग, विदेशी परिवहन के लिए समुद्र पर परिवहन के लिए जलयान किराए पर लेने, सम्बन्धित इस्पात संयंत्रों को विशाखापत्तनम, गंगावरम, पारादीप, धामरा तथा हल्दिया स्थित बन्दरगाहों से आयातित कार्गों के पत्तन प्रहस्तरन तथा प्रेषणों के लिए उत्तरदायी है। इसके वार्षिक कोयला आयातों का मूल्य 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹6937 करोड़ से ₹11,656 करोड़ के बीच था जो कम्पनी के वार्षिक कुल मूल्य का 15 *प्रतिशत* से 22 *प्रतिशत* (लगभग) था।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या कोकिंग कोयला का आयात और इस्पात संयंत्रों को इसके संचालन, प्रहस्तन तथा परिवहन का दक्षता तथा मित व्ययिता सुनिश्चित कर प्रतियोगी तथा उचित रीति में प्रबंध किया गया था।

सेल ने 2013-17 के दौरान ₹37,254 करोड़ मूल्य के 51.10 एमएमटी कोकिंग कोयला का आयात किया। लेखापरीक्षा में सेल के कोयला आयात समूह में ₹25,598 करोड़ मूल्य के 38.79 एमएमटी कोयला के आयात से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा की गई। 2013-16 के दौरान सेल द्वारा किए गए कोयला आयात के सभी आठ दीर्घावधि अनुबन्धों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में कार्गो के आयात और इस्पात संयंत्रों को प्रेषणों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यकलाप की सेल के परिवहन एवं शिपिंग मुख्यालय, कोलकाता और विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता तथा धामरा स्थित इसकी पांच

परिवहन एवं शिपिंग शाखाओं (बीटीएसओ) में रखे गए अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई। इस अवधि (2013-17) के दौरान ₹12797.07 करोड़ की लाजिस्टिक लागत पर 53.08 एमएमटी कोयला तथा लाइमस्टोन के आयात के लिए टीएसडी द्वारा 670 जलयान किराए पर लिए गए/प्रहस्तित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹9633.40 करोड़ की कुल लाजिस्टिक लागत पर 40.93 एमएमटी कोयला तथा चूना के आयात के लिए टीएमडी द्वारा 511 जलयान किराए पर लेने की जांच की। उसी अवधि के दौरान दिए गए कोयला तथा लाइमस्टोन से संबंधित सभी प्रहस्तन ठेकों की भी लेखपरीक्षा द्वारा जांच की गई थी।

12.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

12.1.2.1 कोयला का आयात

क. कोयले के आयात का विक्रेता आधार न बढ़ाया जाना

कोयला आयात पर कम्पनी की नीति दीर्घावधि करार (एलटीए) के माध्यम से इसके थोक आयातों की खरीद करना है। एलटीए कम्पनी के विक्रेता आधार में आपूर्तिकर्ता के साथ किए जाते है। बड़ा विक्रेता आधार प्रतियोगिता बड़ाता है और कम्पनी के लिए अधिक प्रतियोगी मूल्य प्राप्त करता है। कम्पनी के कोयला आयात की नीति का खण्ड 5 अनुबंध करता हे कि आपूर्तिकार आधार को पूरे वर्ष एक्ष्प्रेशन ऑफ इंर्न्टैस्ट (ईओआई) के लिए खुले, वैश्विक, आमंत्रण द्वारा प्रशस्त किया जाए। ईओआई जो तकनीकी रूप से स्वीकृत है, उसकी नया विक्रेता जोड़ने से पूर्व जांच की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी 2010-17 के दौरान कोइ्र नया विक्रेता विकसित करने में विफल रही और 2017-18 में केवल एक ही विक्रेता जोड़ा गया था। यह देखा गया कि कम्पनी ने ईओआई, पायल ओवन परीक्षण तथा ओद्योगिक परीक्षण चालन के मूल्यांकन के लिए कोई समयसीमा नहीं बनाई थी। 2013-17 के दौरान जारी 4 ईओआई के प्रति प्राप्त 21 प्रतिक्रियाओं में से दो का तकनीकी मूल्यांकन करने में प्रबंधन विफल रहा यद्यपि ये ईओआई काफी पहले जून-जुलाई 2015 में जारी किए गए थे। केवल तीन प्रतिक्रियाएं तकनीकी रूप से अनुपालन कर्ता होनी पाई गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि इनमें से एक को 2017-18 में अन्तिम किया गया है और प्रक्रिया में नीचे दर्शाए अनुसार पर्याप्त विलम्ब हुए थे।

- एक बोली दिसम्बर 2013 में तकनीकी रूप से अनुपालन कर्ता के रूप में पहचानी गई थी। पायलट ओवन परीक्षण अगस्त 2014 में पूर्ण किए गए थे और मामला मई 2015 में छोड़ दिया गया था क्योंकि विक्रेता और कम्पनी अन्य मामले में न्यायालय में लड़ रहे थे।

- अन्य बोली दिसम्बर 2015 में तकनीकी रूप से अनुपालनकर्ता पाई गई थी और पायलट परीक्षण अप्रैल 2016 में पूर्ण किए गए थे। प्रबन्धन ने औद्योगिक परीक्षण करने का निर्णय लिया (जून 2016) जो अभी तक मूर्त किया जाना है (जून 2017)।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि वे विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और कि ईओआई के संसाधन में लिया गया समय बोली की पूर्णता पर आधारित था। प्रबन्धन ने यह भी बताया कि बोलीदाताओं को बोली की प्राप्ति के छ: माह के अन्दर उनकी बोली की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा के संबंध में सूचित किया जाना था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेता आधार गत सात वर्षों से वास्तव में स्थिर रहा था और 2013-17 के दौरान जारी ईओआई के संसाधन में पर्याप्त विलम्ब देखे गए थे।

ख. कोयला आयात आवश्यकता का अपर्याप्त निर्धारण

कम्पनी वार्षिक तथा तिमाही आधार पर आयातित कोयला आवश्यकता का निर्धारण करती है। तिमाही के लिए आदेशित मात्रा के मूल्य तदनुसार एलटीए आपूर्तिकारों के साथ अन्तिम किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015 की अप्रैल-जून तिमाही की तिमाही आयात आवश्यकता मार्च 2015 में 4,50,000 एमटी मोरनबाह हार्ड कोकिंग कोल के रूप में नियम की गई थी जिसकी एलटीए आपूर्तिकार मै. एंग्लो मेरिकन द्वारा आपूर्ति की जानी थी। जून 2015 में कम्पनी ने अपना स्टाक कम करने के लिए 2015-16 को तीसरी अथवा चौथी तिमाही में 75,000 एमटी की शेष मात्रा वितरित करने के लिए एलटीए आपूर्तिकार से अनुरोध किया। कोयला अन्तत: 2016 की अप्रैल-जून तिमाही में वितरीत किया गया था। एलटीए आपूर्तिकार के साथ प्रबन्ध के अनुसार कोयला 2015 की अप्रैल-जून तिमाही में लागू मूल्य पर वितरित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016 की अप्रैल-जून तिमाही में कोयला का मूल्य अप्रैल-जून 2015 तिमाही में 25.50 अमरीकी डालर प्रति एमटी तक कम था। उस रूप में कम्पनी ₹12.43 करोड़ की बचत कर सकती थी यदि उसने मार्च 2015 में कोयला की आवश्यकता सही प्रकार निर्धारित की होती।

प्रबन्धन ने बताया कि उन्होने आयातित कोयला के स्टाक की समीक्षा की थी (अप्रैल 2015) और आयातित कोयला की प्राप्ति को विनियमित करने का निर्णय लिया।

उत्तर इस तथ्य का विशेष उल्लेख करता है कि प्रबन्धन मार्च 2015 में आयातित कोयला की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण करने में विफल हो गया और आदेश देने के एक

माह के अन्दर वितरण अनुसूची को संशोधित करना पड़ा जिसके कारण ₹12.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ग. आयातित कोयले का नमूना लेना तथा निरीक्षण

पूर्तिकारों के साथ एलटीए में अनुबद्ध किया गया कि विक्रेता का पारस्परित सहमत निरीक्षण एजेंसी द्वारा लदान बन्दरगाह पर सामग्री का नमूना और निरीक्षण कराना था। ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट कोयला गुणवत्ता स्वीकार करने और भुगतान करने का आधार थी। निरीक्षण एजेंसी को खरीदार द्वारा स्वतन्त्र सत्यापन हेतु नमूने का एक भाग भी रखना होगा।

ग.1 लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-16 के दौरान कम्पनी ने कोयला की गुणवत्ता का स्वतन्त्र रूप से सत्यापन करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया और पारस्परिक सहमत निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्थापित गुणवत्ता तथा मात्रा के लिए नेमी रूप से भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि यदि अनुबंध के प्रति आपूर्त मात्रा में पर्याप्त, सतत और महत्वपूर्ण विचलन हुए होते तो पारस्परिक सहमत योग्य समाधान पर पहुँचने के लिए कारणों की जांच की जाएगी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने जनवरी तथा दिसम्बर 2014 के बीच प्राप्त सात बीजकों की नमूना जांच की औरदेखा कि मै. वेरीज क्रीक से सभी सात लदानों में कुल नमी 12 *प्रतिशत* (अधिकतम सहन सीमा 12 *प्रतिशत* होने पर) थी और उसी अवधि के दौरान 11 लदानों (25 लदानों में से) में मै. बीएचपी द्वारा आपूर्त कोयला में राख मात्रा 9.8-9.9 *प्रतिशत* (अधिकतम सहन मात्रा 10 *प्रतिशत* होने पर) थी। इन निरन्तर सीमारेखा गुणवत्ता मापदण्डों के बावजूद कम्पनी ने कोयला की गुणवत्ता स्वतन्त्र रूप से सत्यापित करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

ग.2 कोयला के आयात के लिए एलटीए में निरीक्षण एजेंसियों के आवर्तन की परिकल्पना की गई है। कम्पनी ने मै. वेरीज क्रीक के साथ हस्ताक्षरित एलटीए (सं. 706/2008) में प्रत्येक छ: माह के आवर्तन के प्रावधान के साथ तीन निरीक्षण एजेंसियों का चयन किया। इसी तरह मै. बीएचपी के साथ हस्ताक्षरित एलटीए (सं. 224/10) में प्रत्येक पांच जलयानों चक्रित किए जाने के लिए दो निरीक्षण् एजेंसियों का प्रावधान किया गया। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि लदान बन्दरगाहों पर निरीक्षण दोनों पूर्तिकारों (मै. वेरीज क्रीक से लदानों के लिए मै. एकटेस्ट और मै. बीएचपी से लदानों के लिए मै. एसजीएस) के लिए एकल एजेंसी द्वारा हमेशा किए गए थे (2013-16)।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2017) कि मै. वेरीज क्रीक ने निरीक्षण एजेंसियों का आवर्तन आरम्भ कर दिया था और बताया कि क्योंकि एक एजेंसी (मै. ब्यौरो वैरिटास) ने अपना कार्यालय बन्द कर दिया था (जनवरी 2013) इसलिए मै. बीएचपी अन्य उपयुक्त निरीक्षण एजेंसी का चयन किए जाने तक मै. एसजीएस से निरीक्षण करा रहा था।

प्रबन्धन के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता कि निरीक्षण एजेंसियों का आवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के हित में है कि मै. बीएचपी के मामले में उनके परिणाम पक्षपाती नहीं हैं और स्वतन्त्र हैं, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चार वर्षों से अधिक अन्तराल के बाद भी प्रबन्धन द्वारा किसी अन्य निरीक्षण एजेंसी का चयन नहीं किया गया था।

ग.3 मै. वेरीज क्रीक के साथ हस्ताक्षरित एलटीए (दिसम्बर 2014 तक वैध) के अनुसार गारंटीकृत नमी और कुल पूर्ण नमी क्रमश: 10 *प्रतिशत* तथा 12 *प्रतिशत* तक होनी चाहिए। 10 *प्रतिशत* से अधिक नमी स्तर के कारण कोयला मूल्य में शास्तिक कटौती और 12 *प्रतिशत* से अधिक के कारण कोयला की अस्वीकृति होगी। जनवरी 2015 से प्रभावी मै. वेरीज क्रीक के साथ हस्ताक्षरित नए अनुबन्ध में गारंटीकृत नमी और कुल पूर्ण नमी 10 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* से क्रमश: 11 *प्रतिशत* तथा 13 *प्रतिशत* तक परिवर्तित की गई थीं। तथापि ये संशोधित मानदण्ड पूर्वव्यापी जुलाई 2014 से प्रभावी किए गए थे। सहन सीमाओं में वृद्धि के कारण आपूर्तिकार आपूर्त कोयला की घटिया गुणवत्ता पर शास्ति के भुगतान का परिहार कर सकेगा और कम्पनी को सितम्बर से दिसम्बर 2014 के दौरान ₹1.92 करोड़ की छूट को छोडना पड़ा था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि कुल नमी की गारंटीकृत सीमा और पूर्ण अधिकतम सीमा में परिवर्तन ईजेसी निपटानों के अनुरूप था और 1 जनवरी 2015 से किए जाने वाले नए एलटीए के लिए था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नए अनुबन्ध के मानदण्डों में परिवर्तन केवल सम्भावित प्रभाव से होने चाहिए।

घ. खानों का अपर्याप्त उपयोग जिसके कारण आयात निर्भरता हुई

कम्पनी कोयला के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है यद्यपि इसकी तीन अधीन कोकिंग कोयला खाने हैं। अधीन खानों का विकास देशी कोकिंग कोयला की उपलब्धता और आयात मूल्यों की अस्थिरता के प्रति सुरक्षा वृद्धि करता है। कम्पनी की कोकिंग कोयला निकालने

के लिए दो पूर्ण कार्यात्मक अधीन खानें (जितपुर तथा चसनाला) हैं। इसके अलावा छोटे पैमाने पर टसरा कोयला खदान में खनन किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधीन कोयला खदानों से उत्पादन 2013-17 के दौरान खानों की निर्धारित क्षमता[1] (वर्ष 2016-17 के लिए चसनाला को छोड़कर)[2] के 40 *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के बीच था और 2013-17 के दौरान 0.728 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता की तुलना में उत्पादन में कमी हुई थी जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

अधीन खानों से कोयला उत्पादन

(मिलयन टन में)

	चसनाला			**जितपुर**		
	निर्धारित क्षमता	**वास्तविक उत्पादन**	**निर्धारित क्षमता का *%***	**निर्धारित क्षमता**	**वास्तविक उत्पादन**	**निर्धारित क्षमता का *%***
2013-14	0.60	0.480	80	0.14	0.056	40
2014-15	0.60	0.326	54	0.14	0.092	66
2015-16	0.60	0.483	80	0.14	0.075	54
2016-17	0.45	0.46	101.16	0.12	0.09	70
कुल		**1.749**			**0.313**	

कम उत्पादन के लिए प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत कारणों में बाह्य एजेंसियों का नियोजन न किया जाना, उपकरण तथा सामग्री की अनुपलब्धता, बालू की कमी, उपकरण खराबी शामिल थे जो सभी उनके नियंत्रण के अन्दर थे। यह भी देखा गया था कि कम्पनी में कोयला मंत्रालय को खनन योजना प्रस्तुत करने में पांच वर्ष (जून 2002-जुलाई 2007) लिए और टसरा की खनन योजना के लिए कोयला मंत्रालय का अन्तिम अनुमोदन सात वर्ष बीत जाने के बाद जून 2009 में प्राप्त किया जा सका। गर्तों में छोटे पैमाने पर खनन टसरा में 2009 में आरम्भ हुआ परन्तु कम्पनी ने पूर्ण रूपेण प्रचालन आरम्भ करने के लिए कोयला विकास और खनन (सितम्बर 2013 में) के लिए खान विकासक सह प्रचालन (एमडीओ) के साथ करार करने में और चार वर्ष लिए।

---

[1] ***यहाँ निर्धारित क्षमता का अर्थ सेल तथा खनन प्राधिकरणों द्वारा यथा सहमत प्रचालन की सहमति से हैं।***

[2] ***चसनॉला में निर्धारित क्षमता 2016-17 में 0.45 मिलियन टन तक कम की गई थी और यद्यपि भौतिक उत्पादन पूर्व वर्ष में कम हुआ परन्तु निर्धारित क्षमता के प्रतिशत के रूप में उत्पादन 101 प्रतिशत बढ़ गया।***

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया कि जितपुर तथा चसनाला कोयला खानों में उत्पादन हानियों को कम करने के लिए कार्रवाईयां की जा रही हैं। प्रबन्धन ने 2017-18 के दौरान टसरा ओपन कास्ट परियोजना के विकास का आश्वासन दिया।

जितपुर तथा चसनाला से उत्पादन के कम स्तर और टसरा खान के विकास में विलम्ब ने आयातित कोयला पर कम्पनी की बढ़ती निर्भरता में योगदान किया।

12.1.2.2 शिपिंग तथा परिवहन कार्यकलाप

सेल ने कार्गों के आयात के लिए जलयान किराए पर किए और समुद्र निकासी से रेलवे वैगनों में लदान बन्दरगाहों पर सामग्री प्रहस्तरन के लिए भी ठेकेदार लगाए।

क. दीर्घावधि संचालन ठेके करने के लिए अविवेकी प्रबन्धन निर्णय

मालभाड़े के घटक को कम करने के उद्देश्य से कोयला आयात के लिए 15 वर्ष तक का दीर्घावधि संचालन अनुबन्ध करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2007)। कम्पनी ने आस्ट्रैलिया से कोयला आयात के लिए नवम्बर 2007 तथा अगस्त 2008 के बीच माल संविदा (सीओए) के चार दीर्घावधि[3] ठेके किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समुद्र मालभड़ा दरें इस अवधि (2007-08) के दौरान अत्यधिक आस्थिर हुई थीं। मालभाड़े के निर्धारण के लिए जलयात्रा द्वारा प्रयुक्त बाल्टिक ड्राई इन्डेक्स अगस्त 2005 में 2000 अंकों से मार्च 2007 में 5000 अंकों तक और नवम्बर 2007 में 10000 अंकों तक अस्थिरता का उच्च स्तर दर्शाते हुए आस्थिर हुआ। उस रूप में इस चरण पर दीर्घावधि करार करना अविवेकी था।

आर्थिक मन्दी (2008) के बाद समुद्री मालभाड़ा तीव्रता से गिर गया और सीओए (नवम्बर 2007 से अगस्त 2008) में सहमत मालभाड़ा में तात्कालिक मालभाड़ा दरों की अपेक्षा काफी अधिक होनी सिद्ध हुई। कम्पनी ने सीओए के बाहर तात्कालिक दरों के आधार पर जलयान किराए पर लेना आरम्भ किया और खुद सीओए को छोड़ने अथवा समाप्त करने का भी निर्णय लिया (अगस्त 2012)। सीओए के माध्यम से लाई जाने वाली 11.50 एमएमटी सहमत मात्रा में से कम्पनी ने केवल 4.92 एमएमटी का आयात किया। चार जलयान मालिक करार के अनुसार लदान प्रस्तुत न करने के लिए सेल के विरूद्ध मध्यस्थम

---

[3] ***पांच वर्षीय अवधि (नवम्बर 2007 @ 48.5 अमरीकी डालर प्रति टन, मार्च 2008 @ 34 अमरीकी डालर प्रतिटन) के दो सीओए तथा चार वर्ष छ: माह तथा चार वर्ष नौ माह अवधि का प्रत्येक एक (दिसम्बर 2007 @ 40 अमरीकी डालर प्रति टन)***

में चले गए। इसमें से दो में मध्यस्थम आदेश कम्पनी के प्रतिकूल गए (अगस्त 2014 तथा मई 2016) और वास्तविक वसूली तक ब्याज के साथ सीओए मालिकों को ₹343.51 करोड़[4] की राशि देय है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2017) कि दीर्घावधि सीओए प्रतियोगी दरें प्राप्त करने के लिए किए गए थे। अप्रत्याशित बाजार आस्थिरता के मद्देनजर बोर्ड ने सीओए का सम्मान न और उनके समाप्त होने अथवा उन्हें रद्द करने का निर्णय किया क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कुछ संचालन मालिकों के मामले में भी कानूनी उपाय का प्रयास किया गया परन्तु कम्पनी की देयता का वर्तमान करारों का सम्मान करने पर वित्तीय प्रभाव परिसीमित होगा।

प्रबन्धन का उत्तर अत्यधिक आस्थिर बाजार में अत्यधिक आस्थिरता में पीक दरों के आधार पर दीर्घावधि सीओए करने के निर्णय को स्पष्ट नहीं करता है।

ख. आयातित सामग्री के प्रहस्तरन हेतु निविदाओं का अपर्याप्त प्रबन्धन

प्रतियोगिता अधिनियम (2002) बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत को स्पष्टरूप से प्रतिबधित करता है जिसके परिणामस्वरूप बोलियों की प्रतियोगिता का विलोपन अथवा कमी हो सकेगा अथवा बोली आमंत्रण की प्रक्रिया प्रतिकूल या हेरफेर प्रभावित हो सकेगी।

लेखापरीक्षा ने समीक्षाधीन अवधि (2013-17) के दौरान पारादीप तथा हल्दिया बन्दरगाहों पर कोयला तथा लाइमस्टोन के प्रहस्तन की चार निविदाओं की समीक्षा की। इन चार निविदाओं के प्रति बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों से कुछ बोलीदाता सम्बन्धित पार्टियां होने प्रतीत हुए जैसा नीचे तालिका मे विस्तृत है:

---

[4] ***14.05 मिलियन अमरीकी डालर @ भारतीय ₹60.67+38.60 मिलियन अमरीकी डालर @ भारतीय ₹66.91***

बोलीदाताओं के ब्यौरे

	पारादीप कार्य		हल्दिया कार्य	
कार्य का नाम	**लाइमस्टोन के प्रहस्तन का कार्य**	**कोयला के प्रहस्तन का कार्य**	**लाइमस्टोन के प्रहस्तन का कार्य**	**कोयला के प्रहस्तान का कार्य**
बोलीदाता[5]	ओएसएल, एमएम, आरसीपीएल और एससीडीसी	ओएसएल, एमएम, आरसीपीएल और ईसीबीसी	आरसीएल, आरसीएसएचएल तथा ओएसएल	
एल 1 पार्टी	ओएसएल	एमएम	आरसीएल	
वैधता अवधि तथा दर	अगस्त 2014 से जुलाई 2016 ₹155.88 प्रति एमटी की दर पर	नवम्बर 2012 से अक्टूबर 2016 ₹122.50 प्रति एमटी की दर पर	अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2014 लाइमस्टोन प्रहस्तरन के लिए ₹167.35 प्रति एमटी नवम्बर 2012 से नवम्बर 2014 कोयला प्रहस्तरन के लिए ₹147 प्रति एमटी	

- पारादीप बन्दरगाह पर लाइमस्टोन प्रहस्तन की निवेदा के प्रत्युत्तर में चार पार्टियों ने अपनी बोली प्रस्तुत की (जून 2014)। इनमें से दो पार्टियां मै. ओएसएल तथा मै. एम मिश्रा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सम्बन्धित होनी प्रतीत हुई। मै. ओएसएल के बोर्ड सदस्य मै. एम मिश्रा में भागीदार थे, दोनों कम्पनियों के समान सम्पर्क ब्यौरे थे और दोनों पार्टियों द्वारा प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट समान तारीख पर और क्रमिक संख्या वाले समान बैंक द्वारा जारी किए गए थे। मै. ओएसएल ने निविदा जीती। लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. ओएसएल 2010 से पारादीप पर लाइमस्टोन का प्रहस्तन कर रहा था। बाद की निविदा में (फरवरी 2016) तीन तकनीकी रूप से पात्र बोलियां प्राप्त हुई थीं और एक नए प्रतियोगी मै. सीवेज ने भाग लिया था। यह देखा गया था कि मै. सीवेज ने उस मूल्य पर निविदा जीती जो मै. ओएसएल के साथ पूर्व प्रहस्तन करार से 33 *प्रतिशत* तक कम था।

- मै. ओएसएल तथा मै. एम मिश्रा ने भी पारादीप बन्दरगाह में कोयला प्रहस्तन हेतु अलग बोलियां प्रस्तुत कीं (अगस्त 2012)। मै. एम मिश्रा ने निविदा जीती। मई 2016 की बाद की निविदा में प्रतियोगिता में सुधार हुआ और दो नए प्रतियोगी (मै. सीवेज शिपिंग लाजिस्टिक लिमिटेड तथ मै. स्वास्तिक स्टीवडोरस प्राइवेट

[5] ***मै. ओडिशा स्टीबडोरस लिमिटेड (ओएसएल), मै. महिमानन्द मिश्र (एमएम), मै. राय चटर्जी (प्रा.) लिमिटेड (आरसीपीएल), मै. सतीश चन्द्र दास एण्ड कं. (एससीडीसी), मै. ईसी बोस एण्ड कं. (पारादीप) प्राइवेट लिमिटेड (ईजीबीसी), मै. रिप्ले एण्ड कम्पनी लिमिटेड (आरसीएल), मै. रिप्ले एण्ड कं. स्टीबडोरिंग एण्ड हैण्डलिंग प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसएचएल)***

लिमिटेड) भी तकनीकी रूप से पारा के रूप में उभरे। इस निविदा में मै. एम मिश्रा ने दोबारा ठेका जीता परन्तु पूर्व कार्य आदेश के संबंध में 34 *प्रतिशत* कम बोली के साथ।

- समान तीन पार्टियों यथा मै. आरसीएल, मै. आरसीएसएचएल तथा मै. ओएसएल ने हल्दिया में लाइमस्टोन तथा कोयला प्रहस्तन दोनों निविदाओं के लिए बोलियां दीं (अक्टूबर 2012)। दोनों बालियां मै. आरसीएल द्वारा जीती गई। निविदा दस्तावेजों की समीक्षा ने दर्शाया कि मै. आरसीएल तथा मै. आरसीएसएचएल सम्बन्धित होने सम्भव हुए। मै. आरसीएसएचएल का प्रवर्तक मै. आरसीएल में भागीदार था। दोनों कम्पनियों के समान सम्पर्क ब्यौरे थे और दोनों द्वारा प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट समान तारीख पर और क्रमिक संख्या वाले समान बैंक द्वारा जारी किए गए थे। लाइमस्टोन प्रहस्तन का ठेका अगस्त 2015 तक बढ़ाया गया था। बाद में हल्दिया में संयुक्त प्रहस्तन ठेका (लाइमस्टोन तथा कोयला दोनों के लिए) 06 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए मै. नैतिनकोन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।

मै. ओएसएल, मै. एम मिश्रा तथा मै. आरसीएल ने क्रमश: ₹11.66 करोड़ (अगस्त 2014-अगस्त 2016), ₹84.34 करोड़ (दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2016) तथा ₹38.43 करोड़ (2012-15) मूल्य के कार्य निष्पादित किए। प्रबन्धन बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत से बचने के लिए बोली दस्तावेजों की संवीक्षा करते समय उचित सावधानी बरतने में विफल हो गया। सभी चार निविदाओं में प्रतियोगिता से समझौता हुआ, की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ भविष्य के मार्गदर्शन हेतु नोट कर ली गई हैं और कि बोलीदाता अलग इकाईयां थे।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है कि स्वयं बोली दस्तावेजों ने दर्शाया कि बोलियां सम्बनधी पाटियों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं।

ग. डीपीसीएल से विलम्ब शुल्क की वसूली न करना

मै. धामरा पोर्ट कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) जो धामरा बन्दरगाह का स्वामित्व तथा प्रबन्ध करता है, बन्दरगाह पर आयात निर्यात जलयानों के प्रहस्तान का सेवा प्रदाता था। परिवहन एवं शिपिंग विभाग (टीएसडी) ने अप्रैल 2015 में डीपीसीएल को एक कार्य आदेश दिया। डीपीसीएल के साथ अुनबन्ध के अनुसार प्राथमिकता स्थान टीएसडी जलयानों के लिए

अनुमत था और विलम्ब शुलक डीपीसीएल द्वारा वहन किया जाना था यदि अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुमत खाली समय[6] से सेल कार्गो के विसर्जन के लिए लिया गया समय अधिक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹8.83 करोड़ (केप आकार जलयानों के लिए ₹1.28 करोड़ और पैनामैक्स जलयानों के लिए ₹7.55 करोड़) के विलम्ब शुल्क[7] का 2015-17 अवधि के दौरान धामरा बन्दरगाह पर लंगर डाले जलयानों के लिए कम्पनी द्वारा जलयान मालिकों को भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी द्वारा डीपीसीएल से विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि डीपीसीएल ने सभी केप आकार जलयानों के संबंध में गारंटीकृत विसर्जन दर को पूरा किया था इसलिए केप आकार जलयानों के लिए वसूली नहीं की गई थी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जलयान प्रकार के बावजूद अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब शुल्क डीपीसीएल से वसूली योग्य था। पैनामैक्स जलयानों के लिए विलम्ब शुल्क प्रभार वसूल न करने के बारे में उत्तर मौन था।

घ. ठेकेदारों से निष्क्रिय भाडे की कम वसूली

रेल भाड़ा वैगन की अनुमेय ढुलाई क्षमता के अनुसार प्रभारित किया जाता है। यदि वैगन कम भरा जाता है तो भी पूर्ण भाड़ा प्रभार भुगतान करने पड़ते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रहस्तन ठेके रेल वैगनों को कम भरने को दण्डित करने में एक समान नहीं थे।

- पारादीप बन्दरगाह पर मै. एम मिश्रा तथा मै. ओएसएल के साथ प्रहस्तन ठेको में निष्क्रिय भाड़े के लिए कोई वसूली खण्ड शामिल नहीं किया गया और इसलिए कम भारित वैगनों के लिए 2013-17 के दौरान प्रदत्त ₹69.46 करोड़ उनसे वसूल नहीं किया जा सका।

- हल्दिया, वाइजाग तथा धामरा के प्रस्तरन ठेकों में निष्क्रिय भाडे की वसूली का खण्ड शामिल था परन्तु कम्पनी ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। धामरा बन्दरगाह के लिए मै. डीपीसीएल के साथ ठेके में निष्क्रिय भाडे की वसूली अनुबद्ध थी परन्तु ₹21.82 करोड़ के प्राप्यों के प्रति केवल ₹2.94 करोड़ की डीपीसीएल से वूसली की गई। हल्दिया में प्रहस्तन एजेंट द्वारा देय ₹78.31 करोड़ के निष्क्रिय भाड़ा प्रभारों के

---

[6] ***सेल कार्गो के विसर्जन हेतु डीपीसीएल को अुनमत खाली दिनों की संख्या खाली समय है।***

[7] ***सेल तथा जलयान मालिकों के बीच अुनबन्धों में विलम्ब शुल्क दर के अनुसार सेल कार्गो विसर्जन के लिए अनुमत मुफ्त समय से अधिक पर डीपीसीएल द्वारा विलम्ब शुलक देय था।***

प्रति टीएसडी ने केवल ₹6 करोड़ वसूल किए और वाइजाग में प्रदत्त ₹105.12 करोड़ के निष्क्रिय भाड़े के प्रति टीएसडी ने केवल ₹1.08 करोड़ की वसूली की।

इस प्रकार टीएसडी ने रेल वैगनों में भारित कोयला तथा चूने की कम मात्रा के लिए 2013-17 के दौरान ₹274.71 करोड़ के निष्क्रिय भाडा का भुगतान किया परन्तु प्रहस्तन ठेकेदारों से केवल ₹10.02 करोड़ वसूल कर सका जबकि शेष ₹264.69 करोड़ वसूली बिना रहा।

प्रबन्धन ने बताया कि सामान्य परिस्थितयों के अन्तर्गत 'अनुमेय ढुलाई क्षमता' तक निम्न बल्क घनत्व वाला आयातित कोयला तकनीकी रूप से भरा नहीं जा सकता और तदनुसार कोई शास्तिक प्रावधान परिकल्पित नहीं किया गया था। इसके अलावा 2015-16 में टीएसडी द्वारा किए गए भार क्षमता अध्ययन के आधार पर प्रहस्तन एजेंटों को अब रेकों में अधिकतम मात्रा भरना अपेक्षित होगा ताकि निष्क्रिय भाडे को कम किया जा सके।

वैगनों के पूर्ण लदान से सम्बन्धित प्रबन्धन की तकनीकी चिन्ताओं को कम लदान को दण्डित करने के कुछ प्रहस्तन एजेंटों के लिए ठेकों के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है। लदान योग्यता अध्ययन ने भी यह जोर देते हुए प्रति वैगन निम्नतम लदान मात्रा निर्धारित की (अप्रैल 2015) कि प्रहस्तन एजेंट निष्क्रिय भाडे का समाधान करने के लिए रेकों में अधिकतम मात्रा भरें।

ङ. हल्दियां बन्दरगाह से अधिक लदान प्रभारों की वसूली न करना

वर्ष 2010-12 के दौरान परिवहन एवं शिपिंग विभाग (टीएसडी) हल्दियां बन्दरगाह की कार्गो प्रहस्तन सेवाएं प्राप्त करने को सहमत हो गया। यह निर्णय किया गया कि टीएसडी का प्रतिनिधि रेलवे वैगनों पर आयात कार्गो की तुलाई और लदाई की निगरानी करेगा। तथापि टीएसडी ने हल्दिया बन्दरगाह से अनेक अनुरोधों के बावजूद अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया। इस अवधि के दौरान रेलवे ने अतिलदान प्रभारों के रूप में टीएसडी से ₹2.88 करोड़ वसूल किए जिसे हल्दिया बन्दरगाह से वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि टीएसडी ने तुलाई तथा लदाई की निगरानी करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि उन्होने वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय के साथ मामला उठाने का निर्णय लिया है। बन्दरगाह से किसी वाणिज्यिक दावे पर अन्ततः प्रमुख उत्तन न्यास अधिनियम/प्रमुख पत्तन मार्गनिर्देश टैरिफ प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर तुलाई तथा लदाई निगरानी करने के लिए हल्दिया बन्दरगाह पर प्रतिनिधि नियुक्त न करने को न्योचित नहीं करता है।

च. इस्पात संयंत्रो में कोकिंग कोयला की कम प्राप्ति

प्राय: मात्रा कमियां देखी गई थीं जब प्राप्तकर्ता इस्पात संयंत्रों में कार्गो का भार किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने ऐसी कमियों के लिए प्रतिमान अनुमोदित किए (मोर्च 2004)। इस्पात संयंत्रों में प्राप्त आयातित कोकिंग कोयला के संबंध में पाए पारगमन हानियों का प्रतिमान (+/-) 3 *प्रतिशत* था। लेखापरीक्षा में 2013-17 की अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों को पारादीप, हल्दियां तथा धामरा से प्रेषित कोयला की समीक्षा की गई और बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, रोरकेला तथा बर्नपुर इस्पात संयंत्रों में प्राप्त कोयला में 3 *प्रतिशत* से अधिक (3.01 *प्रतिशत* से 10.47 *प्रतिशत* तक) कमियां देखी गई। प्रतिमान से अधिक पारगमन हानियां ₹29.23 करोड़ मूल्य का 38,900 एमटी कोयला गणना बना। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि प्रतिमान से अधिक पारगमन हानियां सामान्य थीं और समीक्षित 48 महीनों में से 25 में देखी गई थीं। टीएसडी के संयंओं को पारादीप बन्दरगाह से कोयला के परिवहन के लिए मार्गरक्षक एजेंसी लगाने के (जून 2014) बाद भी 2015-16 तथ 2016-17 में 12 महीनों में से 8 महीनों के दौरान आरएसपी को पारादीप से प्रेषक में प्रतिमान से अधिक वार्षिक पारगमन हानियां देखी गई थीं।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2017) कि मार्ग में चोरी का कोई संकेत नहीं था और तुलाई में अन्तर बन्दरगाह तथा संयंत्र तुलासेतु के बीच माप अन्तर के कारण था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लगातार प्रतिमानों से अधिक अन्तर देखे जाने के बावजूद यथार्थता बनाए रखने के लिए तुला सेतुओं का अंशशोधन और अनुरक्षण करने में यह विफल हो गया। 2013-17 के दौरान लगातार पारगमन हानियों के कारण लेखापरीक्षा अप्राधिकृत विपथन का वर्जन करने में सक्षम नहीं है।

12.1.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित कोयला का विक्रेता आधार गत सात वर्षों से लगभग स्थिर रहा और सम्भावित विक्रेताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के संसाधन में पर्याप्त विलम्ब हुए थे। दृध सीमारेखा गुणवत्ता प्रतिमानों के बावजूद कम्पनी ने कोयला की मात्रा का स्वतन्त्र रूप से सत्यापन करने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया और न ही निरीक्षण एजेंसियों का आवर्तन सुनिश्चित किया। इसके अलावा वर्तमान अधीन खानों से उत्पादन के निम्न स्तरों और टसरा कोयला खानों के विकास में विलम्ब ने आयातित कोयला पर

निर्भरता बढ़ाने में सहयोग किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित सामग्री प्रहस्तन के लिए निविदाओं का अपर्याप्त प्रबन्धन हुआ था और सम्भावना कि 2012-16 के दौरान पारादीप तथा हल्दिया में लाइमस्टोन तथा कोयले के प्रहस्तन की सभी चार निविदाओं में समझौते से इनकार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी प्रहस्तन एजेंटों से जलयान मालिकों/रेलवे को इसके द्वारा प्रदत्त विलम्ब शुल्क, निक्रिय मालभाडा तथा अतिलदान प्रभार वसूल करने में विफल हो गई जिसके कारण कम्पनी को हानि हुई। बन्दरगाह से इस्पात संयंत्रों को कोयला परिवहन में पारागमन हानियां पारादीप बन्दरगाह से 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 12 महीनों में से 8 महीनों में वार्षिक उच्च हानि के साथ प्रतिमानों से भी अधिक थीं। पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा आपत्तियों का वित्तीय प्रभाव ₹319.98 करोड़ है।

12.1.4 सिफारिशें

- कम्पनी कोयला आयात के लिए अपने विक्रेता आधार का तेजी से विस्तार करे।
- यह सुनिश्चित करने, कि कोयला की उचित गुणवत्ता आयात की जाती है, के लिए निरीक्षण एजेंसियों का आवर्तन और गुणवत्ता का स्वतन्त्र निरीक्षण स्थापित किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने कि प्रतियोगिता से समझौता नहीं किया गया है, के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों की कम्पनी उचित प्रकार संवीक्षा करे।
- कम्पनी विलम्ब शुल्क, निष्क्रिय भाड़ा/अतिलदान प्रभारों की वसूली के लिए प्रहस्तन ठेको में उचित खण्ड शामिल करने के द्वारा अपने हित की सुरक्षा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।
- विशेषरूप से पारादीप बन्दरगाह में इस्पात संयंत्रों को बन्दरगाह से कोयला के पारागमन के दौरान हानियों को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

मामला जनवरी 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

12.2 इस्पात के द्वितीयक और उप उत्पादों की बिक्री

इस्पात मंत्रालय के अधन महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल/ कम्पनी) भारत की सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माण कम्पनी है। इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह उप उत्पादों जैसे तार, बेंजोल उत्पाद, अमोनियम सल्फेट और झौंका भटटी दाने दार धातु मल आदि का भी उत्पादन करती है। द्वितीयक उत्पाद जैसे ब्लूम एवं पटरियां, पटरी/रोड/काइल की कतरनें, अस्वीकृत पाइप आदि जो दोषपूर्ण अथवा अस्वीकृत है और स्कैप जिसमें लोहा है, भी प्रक्रिया के दौरान उत्पादित होते है। ये द्वितीयक तथा उपउत्पाद बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं और धातु कर्मीय, सीमेंट तथा रसायन उद्योग में उच्च मांग में हैं और समय समय पर सेल कारपोरेट मटेरियल मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमएमजी) द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार सम्बन्धित इस्पात संयंत्रों के विपणन विभागों द्वारा ई-नीलामी, निविदा, निर्धारित मूल्य और अन्तरसंयंत्र स्थानान्तरण के माध्यम से बेचे जाते हैं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना था:

- कि क्या कम्पनी मं द्वितीयक उत्पादों की सामायिक पहचान, पृथक्करण तथा भण्डारण के लिए प्रक्रियाएं मौजूद थीं;
- आरक्षित मूल्य तथा निर्धारित मूल्य का निर्धारण वास्तविक था;
- द्वितीयक तथा उप उत्पादों की बिक्री/ई-नीलामी का दक्षतापूर्वक और प्रभावी पूर्वक प्रबन्ध किया गया था;
- आन्तरिक नियंत्रक पर्याप्त थे।

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिए सभी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रो[8] में अभिलेखों की जांच की गई। समीक्षा के लिए चयनित नमूना में 100 *प्रतिशत* द्वितीयक उत्पाद विक्री और 25 *प्रतिशत* उप उत्पाद विक्री शामिल थी।

12.2.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

12.2.1.1 द्वितीयक उत्पादों के लिए अलग भण्डारण यार्ड की कमी

सीएमएमजी मार्गनिर्देश अनुबद्ध करते हैं कि विक्री के लिए पहचाने गए द्वितीयक उत्पाद उत्पादन के स्थान/मुख्य शाल से हटाए जाए और मुख्य सामग्री में मिलने से बचने के लिए विक्री के लिए अलग स्थान पर भण्डार किए जाएं।

---

[8] ***बोकारों इस्पात संयंत्र (बीएसएल), भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)***

अलग स्टॉकयार्ड उनका विक्रय मूल्य बनाए रखने के लिए द्वितीयक उत्पादों के उचित भण्डारण में सहायता करता है और नीलामी के माध्यम से विक्री के लिए छोटे आकार लाट बनाने में भी सहायता करता है। बीएसएल, बीएसपी तथा आरएसपी में अभिप्रेत आन्तरिक स्टॉकयार्ड सुविधाए हैं जो कुछ महीनों के लिए द्वितीयक उतपादों का स्टॉक कर सकते हैं। तथापि डीएसपी तथा आईएसपी में अलग द्वितीयक भण्डारण सुविधा नहीं है और सामग्री उत्पादन इकाइयों से सीधी बेची जाती है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन इकाइयों में स्थान का अवरोधन और ऐसे द्वितीय के उत्पादों के साथ मूल उत्पादों का मिश्रण हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएसपी में झौंका भट्टी में उत्पादित प्रमुख गुणवत्ता कच्चा लौहा पारम्परिक रूप से खुले यार्ड में भण्डार किया गया था। झौंका भट्टी 5 के प्रचालन के आरम्भिक दिनों के दौरान कुछ घटिया किस्म का कच्चा लौहा उत्पन्न हुआ था। दिसम्बर 2014 में 2500 टन का ऐसा घटिया किस्म का कच्चा लौहा नीलाम किया गया था और ₹5.95 करोड़ (क्रमश: ₹2.96 करोड़ तथा ₹2.99 करोड़) के कुल मूल्य पर प्रत्येक 1250 टन के लिए दोनों पार्टियों को वितरण आदेश जारी किए गए थे। दोनों पार्टियों ने अपनी सम्बन्धित राशियां जमा की (29 दिसम्बर 2014)। घटिया किस्म लौहा ताजा कच्चे लौहे के लिए बने यार्ड में भण्डारण किया गया था और ताजा कच्चे लौहे के नीचे ढक गया था। इसलिए आईएसपी घटिया किस्म कच्चे लोहे को सुपुर्द करने में असमर्थ था और ₹5.95 करोड़ के अग्रिम को वापस करना पड़ा था (जनवरी 2015)।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जून 2017) कि वितरण आदेश का रद्दीकरण अपर्याप्त भण्डारण क्षमता के कारण हुआ था और बताया कि आईएसपी में एक अस्थाई द्वितीयक स्टॉक यार्ड बनाया गया (जनवरी 2017) है। डीएसपी ने भी आश्वासन दिया कि आपत्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

12.2.1.2 द्वितीयक उत्पादों/उप उत्पादों का अवास्तविक मूल्य निर्धारण

द्वितीयक उत्पाद/उप उत्पाद अग्रवर्ती नीलामी[9] (एफए) के माध्यम से बेचे जाते हैं। अद्वितीय संख्याओं के साथ लौट बनाए जाते हैं और अगली नीलामी के लिए अग्रेनीत बेचे न गए लौह के साथ नीलामी के लिए रखे जाते हैं। अग्रवर्ती नीलामी सुविधा बोली मूल्य के साथ आरम्भ होती है और आरक्षित मूल्य निर्धारण समिति (आरपीएफसी) द्वारा निर्धारित आरक्षित

[9] ***अग्रवर्ती नीलामी इलेक्ट्रानिक नीलामी हैं, जो अनेक सम्भावित क्रेताओं को अपनी मदें बेचने के लिए विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। विक्रेता तथा क्रेता अल्ग-अलग व्यक्ति, संगठन आदि हो सकते हैं। क्रेता अपनी रूचिकर मदों के के लिए लगातार बोली दे सकते हैं। अन्ततः उच्चतम बोलीदाता बोली जीतता है।***

मूल्य के साथ बोली मूल्य की तुलना करने के बाद विक्री आदेश जारी किए जाते हैं। आरपीएफसी प्रचलित बाजार दशाओं, सहयोगी संयंत्रों द्वारा निर्धारित मूल्य तदनुरूपी सामग्री के मूल्य, उम्र, स्टॉक की स्थिति तथा उपलब्धता, पिछली ई नीलामी अथवा खुली निविदा में प्राप्त दरें, जर्नल, मैगजीन, समाचार पत्रों, वेबसाइट आदि में उपलब्ध सूचना जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद ई नीलामी के माध्यम से आरक्षित मूल्य निर्धारित करती है। द्वितीयक उत्पाद/ उप उत्पाद भी निर्धारित मूल्य आधार पर बेचे जाते हैं। सीएमएमजी मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि ऐसी विक्रियों के लिए वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए ई-नीलामी अथवा खुली निविदा के माध्यम से आवधिक रूप से सामग्री की कुछ मात्रा बेची जाय।

12.2.1.3 बीएसएल में आरक्षित मूल्य के अवास्तविक निर्धारण के कारण हानि

लेखापरीक्षा ने बीएसएल में ई-नीलामी के 496 मामलों में आरक्षित मूल्य निर्धारण की समीक्षा की। (अपैल 2013 से अगस्त 2016)। लॉट 71 बार तक बारम्बार नीलाम किए गए थे परन्तु एक भी नीलामी अन्तिम नहीं की गई। बारम्बार नीलामी निर्धारित किए जा रहे अवास्तविक उच्च आरक्षत मूल्य के कारण थी। क्रमिक नीलामियों के साथ आरक्षित मूल्य कम किया गया था जब तक आरक्षित मूल्य के साथ मेल नहीं हुआ। इसके कारण ऐसी स्थिति हुई जहाँ वास्तविक बिक्री मूल्य लोट के प्राय: प्राप्त उच्चतम बोली की अपेक्षा कम था।

लॉट जो 71 बार नीलाम किए गए थे, के मामले में प्राप्त उच्चतम बोली वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक थी, अन्तर ₹5.36 करोड़ था, जिसके कारण बीएसएल को वास्तविक हानि हुई। 52 मामलों (समीक्षित ई-नीलामी मामलों का 10.4 *प्रतिशत*) लॉट ऐसे मूल्य पर बेचे गए थे जो उच्चतम बोली, जो लॉट के लिए प्राप्त हुई थी, की अपेक्षा 10 *प्रतिशत* से अधिक निम्न थे। हानि को वास्तविक आरक्षित मूल्य निर्धारण द्वारा बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि आरपीएफसी ने प्रचलित बाजार स्थिति, उपलब्ध स्टॉक, बकाया आदेश, सामग्री की परिवर्तनीय लागत, गत अग्रवर्ती नीलामी में प्राप्त दरें आदि को ध्यान में रखकर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया।

उत्तर कि प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखा गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान ओयोजित 10 अरापीएफसी बैठकों की रिपोर्टों से पता चला कि इन बैठकों में बाजार स्थितियों पर चर्चा नहीं की गई थी।

12.2.1.4 आईएसपी में बीएफजी[10] धातु मल के आरक्षित मूल्य के अविवेकी निर्धारण के कारण ₹2.39 करोड़ की हानि

आईएसपी में बीएफजी धातु मल का अरक्षित मूल्य ₹900 प्रतिटन निर्धारित किया गया। सामग्री के निपटान हेतु एक खुली निविदा जारी की गई थी (मार्च 2014) और प्राप्त उच्चतम बोली ₹635 प्रति टन थी। चूंकि उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से काफी कम थी (29.45 *प्रतिशत* कम) इसलिए प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था और निविदा मूल्यांकन समिति ने पुन: निविदा आमंत्रण की सिफारिश की। पुननिविदा में (अगस्त 2014) आरक्षित बोली 625 प्रति टन तक कम कर दी गई और प्राप्त उच्चतम बोली ₹510 प्रति टन थी। यद्यपि यह आरक्षित मूल्य से 18.40 *प्रतिशत* कम थी परन्तु इस बोली को स्वीकार किया गया था। इस प्रक्रिया में आईएसपी ने ₹2.39 करोड़ की हानि उठाई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुननिवेदा के दौरान मै. मेटल जंक्शन द्वारा प्रस्तुतत बाजार रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था जबकि मूल निविदा में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके कारण अवास्तविक आरक्षित मूल्य का निर्धारण हुआ और कम्पनी ने दो नीलामियों में प्राप्त विभेदक बोलियां होने पर ₹2.39 करोड़[11] का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने का अवसर खो दिया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि आईएसपी में धातु मल मूल्य डीएसपी तथा आईएसपी की मूल्य प्रवृत्ति के अनुरूप पारम्परिक रूप से निर्धारित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया था यद्यपि प्रबन्धन की बाजार इनपुट तक पहुँच थी।

12.2.1.5 ई-नीलामियों में अन्वेषित मूल्य के अनुरूप मूल्य निर्धारित करने में विफलता

निर्धारित मूल्यों पर सामग्री की बिक्री के लिए सीएमएमजी मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि ऐसे मूल्य ई नीलामी अथवा खुली निवेदा के आधार पर खोजी जानी चाहिए। बीएसएल ने ₹8000 से ₹8500 प्रति टन के बीच मूल्यों में अप्रैल 2014 में ई-नीलामी के माध्यम से 400 टन अमोनियम सल्फेट बेचा था। तथापि बीएसएल ने अमोनियम सल्फेट के लिए अन्वेषित मूल्य पर ध्यान दिए बिना ₹6634 प्रति टन पर औसत मूल्य निर्धारित किया और इस मूल्य पर अपना 5214 टन बेचा (मई से जुलाई 2014 के दौरान)। इसके कारण

---

[10] ***बीएफजी : झौंका भट्टी दानेदार धातु मल***

[11] ***191000 टन X (₹635 - ₹510)***

बीएसएल ने अन्वेषित बाजार मूल्य से कम पर अमोनियम सल्फेट बेचा, मूल्य अन्तर ₹0.78 करोड़[12] था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि नीलामी मूल्यों के साथ निर्धारित मूल्यों की तुलना उचित नहीं थी और सामग्री उनकी खतरनाक प्रकृति और भण्डारण समस्याओं के कारण निर्धारित मूल्यों पर बेची गई थी।

प्रबन्धन का उत्तर ई-नीलामी के माध्यम से अन्वेषित मूलय से कम मूल्य निर्धारित करने की चिन्ता का समाधान नहीं करता है जैसा सीएफएमजी मार्गनिर्देशों में प्रावधान किया गया।

12.2.1.6 डीएसपी में निर्धारित मूल्य विधि के माध्यम से बिक्री मूल्य निर्धारित करने में कमियां

डीएसपी में कुछ उप उत्पाद (फ्ल्यू डस्ट, लाइम फाइन, पावर प्लांट सिंडर, वेस्ट गैस क्लीनिंग डस्ट तथा द्रव नाइट्रोजन) निर्धारित मूल्य विधि के माध्यम से बेचे जा रहे थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि गत दो वर्षों (मार्च 2017 को समाप्त) में फ्ल्यू डस्ट और पावर प्लांट सिंडर की नीलामी क्रमश: केवल जून 2016 और जुलाई 2015 में आयोजित की गई थी। अन्य किसी उत्पाद के लिए कोई नीलामी आयोजित नहीं की गई थी।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जून 2017) में बताया कि सामग्री निम्न मूल्य की है। इसके अलावा उपलब्धता अनिश्चित थी और निपटान प्रचालन जोखिमों के कारण तत्काल किया जाना था।

प्रबन्धन का उत्तर सीएमएमजी मार्गनिर्देशों में यथा प्रावधानित ई-नीलामी के माध्यम से उनका मूल्य पता किए बिना उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने की चिन्ता का समाधान नहीं करता है। इसके अलावा ये उत्पाद औसत बिक्री मूल्य ₹3 करोड़ प्रति वर्ष (लगभग) होने पर प्रति वर्ष बेचे जा रहे थे और उस रूप में ई-नीलामी के माध्यम से मूल्य की खोज विवेकी होती।

---

[12] ***(नीलामी में प्राप्त औसत मूल्य 8125/टन - औसत निर्धारित मूल्य जिस पर अमोनियम सल्फेट बेचा (6634/टन) x 5214 टन***

12.2.1.7 आरक्षित मूल्य से कम पर विक्री में विसंगतियां

सीएमएमजी मार्गनिर्देशों में अनुबद्ध किया गया कि यदि किसी नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से कम है तो सामग्री सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद उच्चतम बोलीदात (आरक्षित मूल्य के 90 *प्रतिशत* की सीमा के अधीन) को बेची जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने सुसंगत रीति से इस मार्गनिर्देश का अनुपालन नहीं किया।

(i) दिसम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2014 तक के बीच मिश्रित कोक की विक्री के लिए बीएसएल में आयोजित सात नीलामियों के दौरान बीएसएल ने आरक्षित मूल्य के 91 से 99 *प्रतिशत* के बीच बोलियां पाप्त कीं। तथापि बीएसएल ने बोली मूल्य स्वीकार नहीं किया और पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया यद्यपि बोली सीएमएमजी मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित स्वीकृत श्रेणी के अन्दर थी।

(ii) दूसरी ओर आईएसपी ने ₹459 प्रति टन के आरक्षित मूल्य के साथ झौंका भट्टी दानेदार (बीएफजी) धातु मल की विक्री के लिए अगस्त 2015 में खुली निविदा जारी की। केवल एक पार्टी (मै. एसी लिमिटेड) ने ₹100/टन की बोली प्रस्तुत की जो बाद में बातचीत के बाद ₹250/टन संशोधित की गयी। यद्यपि केवल एक बोली प्राप्त हुई थी और उद्धरित मूल्य आरक्षित मूल्य से 46 *प्रतिशत* कम था परन्तु आईएसपी ने तीन वर्षों की अवधि के लिए ठेका सौंप (दिसम्बर 2015) दिया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि बीएफजी का पूर्व ठेका ₹510/टन की दर पर (एक वर्ष के लिए) आईएसपी द्वारा दिया गया था। आरक्षित मूल्य के 90 *प्रतिशत* से कम एकल मूल्य बोली स्वीकार करना सीएमएमजी मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि मिश्रित कोक नीति के अनुसार आरक्षित मूल्य के 100 *प्रतिशत* अथवा अधिक पर बेचा गया था। आईएसपी में दानेदार धातुमल का नियमित निपटान प्रचालन और नवनिर्मित झौंका भट्टी 5 की ढाल बनाने के लिए आवश्यक था।

उत्तर सेल की सभी इकाईयों में सीएमएमजी मार्गनिर्देशों के असंगत प्रयोग का समाधान नहीं करता है।

12.2.1.8 द्वितीयक उत्पादों के निपटान में विलम्ब

(क) निपटान के लिए द्वितीयक सामग्री भेजने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बीएसएल में ₹17.04 करोड़ की हानि हुई।

दोषपूर्ण सीआर अतापानुशीतित कोइल (7737 टन), एचआर कोइल (7200 टन) और एचआर प्लेट (8500 टन) जो पूर्व वर्षों से संचित हो गए थे, बीएसएल में लॉट बनाने और निपटान

हेतु 2015-16 के दौरान द्वितीयक यार्ड को भेजे गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) में इन उत्पादों के औसत बाजार मूल्य 2015-16 के मूल्यों से अधिक थे जब उन्हें अन्ततः बेचा गया था। समय पर भण्डारण यार्ड को द्वितीयक सामग्री भेजने में बीएसएल की विफलता और निपटान में परिणामी विलम्ब के परिणामस्वरूप निम्न मूल्यों के कारण ₹17.04 करोड़ की हानि हुई जैसा नीचे तालिका में विस्तृत है:

उत्पाद	पूर्व वर्षों में संचित स्टॉक	गत तीन वर्षों के दौरान प्रति टन औसत विक्रय मूल्य	प्रति टन वास्तविक विक्री मूल्य	अन्तर (प्रति टन)	हानि (₹ करोड़ में)
सीआर अतापानुशीतित कोइल	7737[13]	32482	24587	7895	6.11
दोषपूर्ण एचआर कोइल	7200	30958	24450	6508	4.69
दोषपूर्ण एचआर प्लेट	8500	30892	23547	7345	6.24
जोड़					**17.04**

(ख) बीएसएल में अधिशेष संपत्तियों की पहचान में विलम्ब

बीएसएल में विभिन्न कमियों के मद्देनजर मार्च 1991 तथा सितम्बर 2015 के बीच 419 पुराने रौल परिचालन से बाहर हो गए थे। इनमें से 399 रौल पांच वर्षों से अधिक से संचित हो गए थे। बीएसएल की रौल की स्कैप घोषणा समिति ने 7 माह से 25 वर्ष तक बीत जाने के बाद केवल अप्रैल 2016 में ये रौल स्क्रैप के रूप में घोषित किए थे। अधिशेष सम्पत्तियों की पहचान में विलम्ब के परिणामस्वरूप बिक्री से राजस्व प्राप्त करने में विलम्ब हुआ और समय बीत जाने के साथ रौल की गुणवत्ता में सम्भावित क्षय के कारण हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि विपणन तथा उत्पादन विभाग विक्री के लिए अधिकतम सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए निरन्तर सम्पर्क में थे और कि कभी आंतरिक सामग्री को अनुकूल बाजार मूल्य मिला है परन्तु उन्हें गलन स्क्रैप के रूप में आंतरिक उपयोग हेतु रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दोनों स्टॉक काफी समय से संचित हुए थे और न तो निपटाए गए थे और न ही गलन स्कैप के रूप में उपयोग किए गए थे।

---

[13] ***10939 टन जो 2015-16 में बेचा गया उसमें से औसत दोषपूर्ण मात्रा जो बेची गई 2012-15 के दौरान (3202 टन) को घटाकर डाटा प्राप्त किया गया।***

12.2.1.9 समयपूर्व समाप्त विक्री जिसके कारण राजस्व की हानि हुई

बीएसपी ने ₹24850 प्रति टन की दर पर 1,20,000 टन अस्वीकृत/विखण्डित इनगट मोल्ड और बाटम स्टूल (आईएमबीएस) स्क्रैप की विक्री के लिए मै. इंटरनेशनल कामर्स लिमिटेड (आईसीएल) को एक वर्ष (जून 2012 से जून 2013) के लिए वैध विक्री प्रस्ताव जारी किया (जून 2012)। आईसीएल ने माह जुलाई 2012 के लिए 10000 टन के लिए भुगतान जमा किया और अगस्त 2012 तक 6361 टन उठाया। बीएसपी ने आईसीएल को सामग्री का वितरण बर्खास्त कर दिया (अगस्त 2012) और नियम तारीख तक अगस्त 2012 में 10000 टन सामग्री उठाने के लिए भुगतान जमा करने में आईसीएल की विफलता बताकर कार्रवाईयों का समापन शुरू किया। बीएसपी ने अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 के लिए देय भुगतान के लिए आईसीएल को दो मांग पत्र (24 सितम्बर 2012 तथा 29 सितम्बर 2012) भेजे। इसी बीच आईसीएल ने जिला न्यायालय, दुर्ग में एक समध्यस्थ आवेदन दायर किया (21 अगस्त 2012)। बीएसपी ने ठेका समाप्त कर दिया (अक्टूबर 2012) और आईसीएल द्वारा जमा किया ₹26.58 करोड़[14] जब्त कर लिया। अनुपालित कानूनी कार्यवाहियों मं उच्चतम न्यायालय ने आईसीएल की विशेष अवकाश याचिका मान ली और सुलह कार्यवाहियों के माध्यम से आईसीएल के साथ विवाद निपटाने का कम्पनी को निर्देश दिया। एकमात्र मध्यस्थत को कारोबार में हानि/लाभ के लिए ₹1.50 करोड़ के साथ आईसीएल को ₹26.58 करोड़ की जब्त राशि वापस करने का बीएसपी को निर्देश देते हुए आईसीएल के पक्ष में निर्णय पारित किया (अप्रैल 2016)। तदनन्तर बीएसपी ने 24850 प्रति टन के करार मूल्य से काफी कम ₹17700 तथा ₹20550 प्रति टन के बीच मूल्यों पर सामग्री की नीलामी की (सितम्बर/अक्टूबर 2016)। ठेका समाप्त करने में प्रबन्ध की ओर से अनुचित उतावलेपन के परिणामस्वरूप ₹1.50 करोड़ की अतिरिक्त देयता के अलावा ₹48.86 करोड़[15] के राजस्व का हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि ठेकागत बाध्यता पूरी न करने के कारण नीलामी की गई थी।

उत्तर को बिक्री प्रस्ताव के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है जिसमें केवल अनुबद्ध किया गया कि उठाने के लिए किसी उद्दिष्ट मात्रा के बिना एक वर्ष के दौरान 1.20 लाख टन उठाया जाये। आरएफक्यू के खण्ड 12 तथा 18 के अनुसार माह के प्रथम सप्ताह तक किसी विशेष माह में उठाई जानी वाली सामग्री के लिए भुगतान खरीदार को किया जाना है और तिमाही

---

[14] ***सुरक्षा जमा (₹14191 करोड़), भौतिक मूल्य (₹10.67 करोड़) और ईएमड़ी (₹एक करोड़) शामिल है।***

[15] ***113639 टन (120000 टन - 6361 टन) × ₹4,300/टन (₹24850/टन- - ₹20,550/टन बीएसपी द्वारा प्राप्त अधिकतम मूल्य बोली) = ₹48.86 करोड़***

आधार बोलीदाता के निष्पादन की समीक्षा के बाद सामग्री के कम उठान के लिए शास्ति लगाई जा सकती है। शास्ति जमा करने में विफलता पर उचित नोटिस के बाद ठेका समाप्त किया जा सकता था। ठेके के उतावले समापन के कारण कम्पनी को राजस्व हानि हुई।

12.2.1.10 बीएसएल में वितरण आदेश और प्रेषण सूचना मात्रा में अन्तर

बीएसएल शॉप में उत्पन्न द्वितीयक मदें ट्रकों/डम्परों में द्वितीयक यार्ड को परिवहित की जाती हैं, जो लदान के बाद तुला सेतु पर तोली जाती हैं। स्टॉकयार्डों में सामग्री के संचय के बाद लॉट बनाए जाते हैं और ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। उत्पादन की विक्री के बाद वितरण आदेश (डीओ) जारी किया जाता है और उत्पाद तोला जाता है तथा ट्रकों/ट्रेलरों में भेजा जाता है। स्टॉक यार्ड से वास्तविक उठान के आधार पर प्रेषण सूचना (डीए) तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीए के अनुसार द्वितीयक उत्पाद का भार बीएसएल में 691 आदेशों (2013-16 के दौरान) में डीओ में दर्ज भार की अपेक्षा कम था। तोल में अन्तर पांच तथा 86 *प्रतिशत* के बीच था। इन 691 आदेशों में से 36 में डीए 25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक डीओ से कम था जबकि 4 मामलों में यह 50 *प्रतिशत* और अधिक की अपेक्षा कम था। चुंकि प्रेषित मात्रा आदेशित मात्रा और अग्रिम में प्रदत्त की अपेक्षा कम थी इसलिए बीएसएल को ₹25.31 करोड़ वापस करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप बीएसएल में विक्री का अवसर खो दिया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2017) कि विभिन्न तोल सम्बन्धित बाधाओं के कारण लौट प्राय: दृष्टि अनुमान पर बनाए गए थे।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दृष्टि अनुमान केवल उत्पादों जैसे कोक ब्रीज, लाइम डस्ट तथा अन्य परिष्कृत सामग्री के लौट बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। द्वितीयक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रक स्टाक यार्ड में प्रवेश के दौरान और प्रेषण के दौरान एक ही तुला सेतु पर तोले गए थे इसलिए तुलासेतु अन्तरों के कारण डीओ तथा डीए के बीच अन्तर की कोई गुजांइश नहीं थी। प्रबन्धन ने देखे गए अन्तरों के कारणों को निर्धारित नहीं किया है। उस रूप में आन्तरिक नियंत्रक प्रभावी नहीं थे और अप्राधिकृत विपथन अथवा प्रदायक को प्रेषित सामग्री की कम सूचना की सम्भावना रहती है।

12.2.2 निष्कर्ष

इस्पात संयंत्रो के प्रचालन के दौरान उत्पन्न द्वितीयक उत्पादों तथा उप उत्पादों को कम्पनी की आय अधिकतम करने के लिए सामायिक तथा दक्षता पूर्वक, पारदर्शी रीति में भण्डार तथा निपटान किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन उत्पादों की नीलामी

के लिए आरक्षित मूल्य प्राय: अवास्तविक थे जिसके कारण बारम्बार नीलामी और अन्तत: कम्पनी को हानि हुई। निर्धारित मूल्यों पर समग्री की विक्री के लिए यह देखा गया कि मूल्य अविवेकी, प्राय: ई नीलामी के माध्यम से खोजे गए मूल्यों पर विचार किए बिना निर्धारित किए गए थे जैसा सीएमएमजी मार्गनिर्देशों में परिकल्पित किया गया। द्वितीयक/उपउत्पादों के निपटान में विलम्ब हुए थे जिसके कारण गुणवत्ता में अवनति के साथ राजसव आस्थगन हुआ। दो इस्पात संयंत्रों में द्वितीयक उत्पादों का भण्डार करने के लिए अलग स्टॉकयार्ड नहीं था जिसके काण मूल उत्पादों के साथ उनका मिश्रण हुआ। वितरण आदेश और प्रेषण सूचना में महत्वपूर्ण अन्तर देखे गए थे जिसके प्रबन्धन द्वारा सामग्री के अप्राधिकृत वितपथन और कम सूचना की सम्भावना को खुला छोड़कर स्पष्ट नहीं किया जा सका। संवीक्षित नमूना में द्वितीयक तथा उप उत्पादों की विक्री से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियों का वित्तीय प्रभाव ₹107.19 करोड़ है।

12.2.3 सिफारिशें

(i) कम्पनी यह सुनिश्चित करे कि नीलामी के आरक्षित मूल्य और विक्री के निर्धारित मूल्य बाजार इनपुट तथा ई-नीलामी के दौरान अन्वेषित मूल्यों को ध्यान में रखकर विवेक पूर्वक निर्धारित किए जाते हैं।

(ii) आईएसपी तथा डीएसपी मं द्वितीयक सामग्री के अलग भण्डारण हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) कम्पनी द्वितीयक सामग्री के वितरण आदेश और प्रेषण सूचना में उद्धरित भारों में अन्तर के कारणों की संवीक्षा करे और यह सुनिश्चित करने के लिए की ऐसे अन्तरों को दूर किया गया है, आवश्यक कदम उठाए।

मामला दिसम्बर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

12.3 भूमि तथा टाउनशिप प्रबन्धन

12.3.1 प्रस्तावना

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल अथवा कम्पनी) छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र[16],

[16] ***भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी), बोकारों इस्पात संयंत्र (बीएसएल), रौरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी), इस्कों इस्पात संयंत्र बर्नपुर (आईएसपी)***

तीन विशेष इस्पात संयंत्र[17] और एक फेरो अलाय संयंत्र प्रचालित करता है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र का अपना टाउनशिप है जिसमें आवासीय क्वार्टर, शापिंग काम्पलेक्स, समुदाय केन्द्र, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक बकीचे तथा अन्य सुविधाएं जैसे विधुत तथा जल आपूर्ति, सीवेज तथा सडकें आदि शामिल हैं। टाउनशिप का सम्बन्धित संयंत्रों के टाउन सेवा विभागों द्वारा अनुरक्षण तथा प्रबन्ध किया जाता है।

'सेल में भूमि तथा टाउनशिप प्रबनधन' पर एक अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या भूमि और टाउनशिप सेवा का पर्याप्त रूप से तथा प्रभावी रूप से प्रबन्ध किया गया था और अन्य पार्टियों को कम्पनी की भूमि तथा भवनों का पट्टा तथा उप पट्टा देना नीति और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार था, पट्टो का समय पर नवीकरण किया गया था, सम्पदा देय राशि वसूल की गई थी और दोषियों के विरूद्ध पर्याप्त कानूनी कार्यवाही की गई थी और भूमि तथा भवनों के अतिक्रमणों की समय पर पहचान करने और हटाने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावी प्रणाली मौजूद थी। लेखापरीक्षा का दायरा 2014-15 से 2016-17 तक के तीन वर्षों की अवधि के लिए बोकारों (बीएसपी), भिलाई (बीएसएल), रोडकेला (आरएसपी), दुर्गापुर (डीएसपी) तथा बर्नपुर (आईएसपी) स्थित सभी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच तक सीमित था।

12.3.2 भूमि प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

12.3.2.1 भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण

भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम्पनी में उपलब्ध स्वामित्व अभिलेख राज्य सरकारों के पास उपलबध अभिलेखों के साथ मूल खाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2017 तक कम्पनी के पास पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों[18] के पास उपलब्ध 101598 एकड़ भूमि में से 48918 एकड़ (48.15 *प्रतिशत*) के अधिकार पत्रक अधिकार में थे। कम्पनी को शेष भूमि जिसके अधिकार पत्रक अभी प्राप्त किए जाने थे, के पंजीकरण के लिए व्यय (वास्तविक पंजीकरण के सम पर राज्य सरकार की दरों पर निर्भर) करना होगा।

- बीएसएल के पास उनके अधिकृत सम्पूर्ण भूमि (28744 एकड़) का कोई अधिकार पत्रक नहीं था।

---

[17] ***अलाय इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, सेलम इस्पात संयंत्र तथा विश्वेसरैया लोहा तथा इस्पात संयंत्र, भद्रावती***

[18] ***बीएसपी-28463 में से 28200 एकड, बीएसएल-28744 एकड में से 0, आरएसपी 28108 एकड में से 15357, डीएसपी-12935 एकड में से 3623 तथा आईएसपी-3348 एकड़ में से 1738***

- डीएसपी के अधिकार में 12935 एकड़ भूमि है। तथापि डीएसपी में अनुरक्षित अभिलेखों ने 3692 एकड़ भूमि का अन्तर दर्शाया जब राज्य सरकार के भू अधिलेखों से तुलना की गई।
- आईएसपी अभिलेखों के अनुसार 3348 एकड़ भूमि इनके अधिकार में थी परन्तु राज्य सरकार अभिलेखों ने केवल 2259 एकड़ दर्शाया।
- राज्य सरकार अभिलेखों के साथ बीएसपी के 12.07 एकड़ भूमि अभिलेखों का मिलान प्रक्रियाधीन था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि डीएसपी तथा आईएसपी के अभिलेखों का राज्य सरकार के अभिलेखों के साथ मिलान किया जा रहा था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि सेल बोर्ड ने निर्देश दिया (जुलाई 2016) कि भूमि अभिलेखों का राजस्व अधिकारियों तथा इस्पात मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, से सहायता के साथ मिलान किया जाय। उत्तर 52680 एकड़ भूमि के पंजीकरण में विलम्ब पर भी मौन है यद्यपि भूमि लगभग 50-60 वर्ष पहले इस्पात संयंत्रों के लिए प्राप्त की गई थी।

12.3.2.2 भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

पारस्परित रूप से भूमि के पेपर मानचित बनाए गए थे जो आग, बाढ़, दीमक आदि को प्रवृत्त हैं। भू अभिलेख प्रबन्धन प्रणाली (एलआरएमएस) बीएसएल में सितम्बर 2009 में संस्थापित किया गया था और भू अभिलेख जैसे गॉव मानचित्र, कब्जा नक्शे आदि को अंकीकृत किया गया था यद्यपि यह 2015 से प्रयोग नहीं किया जा रहा था। आरएसपी में भू अभिलेख कम्प्यूटरीकृत/ डिजीकृत किए गए हैं। डीएसपी अभी भी कागज/कपड़े पर बने मानचित्र अनुरक्षित कर रहा था। बीएसपी तथा आईएसपी में भू अभिलेखों को अंकीकरण के लिए निविदा प्रक्रियाधीन था (जुलाई 2017)।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि बीएसएल में संस्थापित एलआरएमएस हार्डवेयर के अप्रचलन के कारण अक्रियाशील हो गया। आरएसपी में एलआरएमएस के लिए निविदा विनिर्देशन का अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन था। एलआरएमएस को लागू करने के लिए डीएसपी द्वारा सभी सम्भावनाएं तलाशी जा रही थीं।

12.3.2.3 भूमि का उपयोग

पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को कम्पनी की भूमि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

(क्षेत्र एकड़ में)

स्थिति	बीएसपी	बीएसएल	आरएसपी	डीएसपी	आईएसपी	जोड़
उपलब्ध कुल भूमि	28463	28744	28108	12935	3348	101598
संयंत्र क्षेत्र	12841	8333	16203	2984	1659	42020
टाउनशिप क्षेत्र	11763	5898	6953	4699	1257	30570
पट्टाकृत और अन्य	2005	3520	651	2260	64	8500
अतिक्रमण भूमि	510	1932	391	1163	20	4016
उपयोग में नहीं भूमि	1344	9061	3910	1829	348	16492

टिप्पणी: *(i) संयंत्र क्षेत्र में फैक्टरी तथा कार्यलय/प्रशासनिक भवन द्वारा अधिकृत भूमि शामिल है। (ii) अन्य इस्पात संयंत्रों/इकाइयों के पास उपलबध 9494 एकड़ भूमि वर्तमान अध्ययन क्षेत्र मं शामिल नहीं की गई थी।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुल 101598 एकड़ भूमि में से 29008 एकड़ अर्थात 28.6 *प्रतिशत* या तो पट्टाकृत, अतिक्रमण अथवा खाली थी और इसलिए सीधे संयंत्र प्रचालनों के उपयोग में नहीं थी।

12.3.2.4 खाली भूमि

जैसा ऊपर की तालिका से देखा गया इन पांच इस्पात संयंत्रों मं 16492 एकड़ भूमि खाली रही। इसमें से 9061 एकड़ (खाली भूमि का 55 *प्रतिशत*) बीएसएल के पास था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि बीएसएल ने नवम्बर 2014 में व्यापक भूमि उपयोग योजना बनाई थी परन्तु यह लागू नहीं की गई थी। इसके अलावा योजना में टाउनशिप क्षेत्र मं 1030.2 एकड़ भूमि और गरगा नदी क्षेत्र[19] में 119.78 एकड़ का उपयोग शामिल नहीं किया गया। तथापि अन्य इस्पात संयंत्रों ने उनके अधिकाराधीन खाली भूमि के उपयोग के लिए कोई विस्तृत/मास्टर योजना नहीं बनाई थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि अप्रयुक्त भूमि भावी वृद्धि तथा विस्तार हेतु निर्दिष्ट की गई है। आगे बताया गया कि डीएसपी की खाली भूमि राष्ट्रीय इस्पात नीति (विजन 2025) के अनुसार भावी आधुनिकीरण तथा विस्तार के लिए और आरएसपी में स्मार्ट सिटी विकास, हवाई अड्डे के विस्तार, 40 मेगा वाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और अतिरिक्त वन रोपण के लिए निर्दिष्ट की गई है।

उत्तर कि अप्रयुक्त भूमि भावी आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए निर्दिष्ट की गई है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय इस्पात नीति अथवा विजन 2025 के अनुसार खाली भूमि के उपयोग के लिए कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी। वास्तव में विस्तार का अगला चरण

---

[19] ***यह क्षेत्र जलाशय क्षेत्र है और बोकारों इस्पात संयंत्र अधिकाराधीन भूमि के अन्दर जलग्रहण क्षेत्र सहित गरगा बांध तथा जलाशय से बना है।***

चालू आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना में सृजित नई सुविधाओं के स्थिरीकरण के बाद और घरेलु इस्पात उद्योग में सतत मांग वृद्धि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा।

12.3.2.5 भूमि का अतिक्रमण

सेल बोर्ड ने अतिक्रमण से बचाव के लिए घेराबन्दी, सैटलाइट प्रतिमावली के उपयोग आदि की सिफारिश की (जुलाई 2015)। जुलाई 2016 में बोर्ड ने इस सिफारिश को फिर दोहराया। लेखापरीक्ष ने देखा कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के बावजूद कोई साइनबोर्ड/कांटदार तार घेराबन्दी/ अहाता दीवार आदि का संयंत्रों द्वार निर्माण नहीं किया गया था। 31 मार्च 2017 को 4016 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जिसमे से 48 *प्रतिशत* (अर्थात 1932 एकड़) बीएसएल में थी, उसके बाद डीएसपी में 29 *प्रतिशत* (1163 एकड़) थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि अतिक्रमित भूमि की विखण्डित प्रकृति के कारण इसकी घेराबन्दी करना अथवा चारदीवारी उठान कठिन था।

(क) बीएसएल में अतिक्रमण न हटाना

बीएसएल में अतिक्रमण रोधी कार्यकलाप सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए थे। अतिक्रमण सुरक्षा कार्मिकों की सहायता से हटाया गया था जिसके विफलता में सम्पदा न्यायलय[20] में रिक्तीकरण मुकदमें दायर किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सुरक्षा विभाग के गश्त तथा निगरानी कार्यकलापों के ब्यौरे केवल गत एक वर्ष के लिए उपलब्ध थे। बीएसएल ने 1932 एकड़ के सम्पूर्ण अतिक्रमित क्षेत्र के लिए सम्पदा न्यायालय में मामले दायर किए गए थे जिसका इसके पास कोइ अधिकार स्वामित्व में नहीं है और 1790.42 एकड़ के रिक्तीकरण के लिए जनवरी 2010 तथा फरवरी 2017 के बीच आदेश पारित किए गए थे। तथापि बीएसएल केवल 1.07 एकड़ खाली कराने में समर्थ हुआ था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि सम्पदा न्यायालय के आदेश पुलिस तथा जिला प्रशासन की सहायता से निष्पादित किए गएथे। इस मामले पर उपायुक्त बोकारो के साथ विचार विमर्श किया गया थ (फरवरी 2016)। यह निर्णय लिया गया था कि जब कभी कुछ ठोस उपयोग कार्रवाई की जानी हो तब लगभग 2 माह पहले रिक्तीकरण कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाये ताकि अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्र दोबार अतिक्रमण के अन्तर्गत न हो जैसा विगत में मामला हुआ था। तथापि कम्पनी लागत नियंत्रण उपाय के रूप में किसी भूमि संबंधी परियोजना को वर्तमान में कार्यान्वित नहीं कर रही थी।

---

[20] ***सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों का रिक्तीकरण) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सेल द्वारा स्थापित***

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एक अनधिकृत अधिवासी को परिसर खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है जिसके बाद सम्पदा न्यालय परिसर खाली कराने के लिए सशक्त है। उपरोक्त मामलों में कम्पनी ने सम्पदा न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के सात वर्ष बाद भी रिक्तीकरण के लिए कार्रवाई नहीं की थी। सम्पदा न्यायालय के आदेशों को कार्यन्वित करने के स्थान पर कम्पनी परिसरों मं लगातार अतिक्रमण अुनमत करना कम्पनी के हित में नहीं है और इसलिए उचित नहीं है। अतिक्रमण हटाने के विलम्ब आगे और अतिक्रमण करने में सहायता कर सकता है।

(ख) अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई न करना

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि संयंत्र अतिक्रमणाधीन परिसरों को पुन: अधिकार में लेने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल हो गया। यह बताना प्रासंगिक है कि विद्यमान पट्टाधारियों ने कम्पनी परिसरों का अतिक्रमण किया। ऐसे अतिक्रमण की खोज के बाद भी संयंत्रों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। निम्नलिखित तालिका अवधि, जब ऐसे अतिक्रमण संयंत्र अधिकारियों की जानकारी में आए, के साथ पट्टाधारियों द्वारा अतिक्रमण के उदाहरणों को सक्षिप्त रूप में बताती है:

विद्यमान पट्टाधारियों द्वारा अतिक्रमणों के उदाहरण

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	अतिक्रमण करने वाले पट्टाधारी का नाम	अतिक्रमण	
			क्षेत्र (एकड)	प्रथम में देखा
1	बीएसएल	बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड	5.00	1975
2	आरएसपी	इस्पात गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति (आईजीपीसी)	1.38	1965
3	बीएसपी	भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी)	34.58	2008
4		श्री सनातन धर्म सभा (एसडीएस) सेक्टर 2	1.65	2007
5		श्री सनातन धर्म सभा (एसडीएस) सेक्टर 6	0.61	2001
6		भिलाई नगर निमग (बीएनएन)	30.01	2006
7		भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट (बीएनएमटी)	2.58	2011
8		सिन्धी ब्रादर मण्डल (एसवीएम)	0.11	2008

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा गया काफी समय पूर्व 1965 में खोजे गए भूमि अतिक्रमण अभी भी हटाए जाने हैं। अतिक्रमणाधीन बताई गई भूमि का अधिकार बीएसएल के स्वामित्व में नहीं है जबकि बीएसपी तथा आरएसपी के पास अपनी भूमि का अधिकार है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अतिक्रमण कर्ताओं ने शिक्षण, धार्मिक, खेलकूद तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों हेतु भवनों का निर्माण कर लिया था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2018) कि:

- बोकारों इस्पात कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा अतिक्रमण की सही मात्रा पता करने के लिए एक प्रख्यात सर्वेक्षण एजेंसी की खोज की जा रही थी।
- इस्पात गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के मामले में भूमि के मूल्यांकन के लिए कार्रवाई की जा रही थी और भिलाई प्रोद्योगिकी संस्थान के मामले में उचित बाजार मूल्य के आधार पर लाइसेंस फीस संशोधित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा था।
- श्री सनातन धर्म सभा - सेक्टर 2 खाली कराने का निर्णय मामला जन आस्था/धर्म से जुड़ा होने और जिला प्रशासन/पुलिस के शिथिल प्रतिक्रिया के कारण प्रभावित नहीं किया जा सका। भिलाई नगर निगम के विरूद्ध कानूनी मामलों को उठाया नहीं गया था क्योंकि यह लम्बी प्रक्रिया होगी।
- श्री सनातन धर्म सभा-सेक्टर 6 के मामले में 09 जून 2012 को कारण बताओ नोटिस सहित समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे और परिसरों को विद्युत आपूर्ति 08 दिसम्बर 2011 को काट दी गई थी।
- भिलोई नगर मस्जिट ट्रस्ट के मामले में पट्टा नवीकरण की प्रक्रिया और सिन्धी ब्रादर मण्डल के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इस्पात संयंत्र प्रबन्धन अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए सामायिका तथा प्रभावी कार्रवाई करने में विफल हो गए यद्यपि इनको इसका पता था और ये अतिक्रमण काफी समय पहले 1965 में इनकी जानकारी में आए थे। अतिक्रमित परिसरों की विद्युत आपूर्ति काटना अतिक्रमण खाली कराने का एक प्रभावी उपाय है जैसा श्री सनातन धर्म सभा-सेक्टर 6 के मामले में देखा गया था जिसे कम्पनी अन्य मामलों में भी आजमा सकती थी। तथापि कम्पनी विनियमन अथवा कानूनी उपाय के लिए अभी भी कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है। यह भी देखा गया था कि:

- यद्यपि बीएसएल ने सर्वेक्षण के लिए झारखण्ड जिओ स्पेशियल डाटा सेंटर से अनुरोध किया (अगस्त 2015) पर एजेंसी ने कार्य आरम्भ नहीं किया और कार्य पूरा करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि प्रबन्धन आज की तारीख (जनवरी 2018) तक किसी नई एजेंसी को लगाने में समर्थ नहीं हुआ है।
- आईजीपीसी ने 1965 में भूमि का अतिक्रमण किया और अतिक्रमित भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण किया यद्यपि पट्टा अनुबन्ध नहीं किया गया था।

- बीआईटी अपने आवंटन के अतिरिक्त 34.58 एकड़ का उपयोग कर रहा है जिसमें बराबर अतिक्रमण बनता है। बीआईटी ने बीएसपी से किसी अनुमति बिना अतिक्रमित भूमि पर निर्माण भी आरम्भ किया था।
- यद्यपि प्रबन्धन ने सूचित किया कि बीएनएमटी का पट्टा नवीकरण किया जा रहा था परन्तु लेखापरीक्षा ने देखा कि बीएनएमटी ने भूमि का अतिक्रमण भी किया और भवन निर्माण किया।

12.3.2.6 अनाधिकृत प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए जहां बीएसएल द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि अनाधिकृत प्रयोजन के लिए पट्टेदार द्वारा उपयोग की जा रही थी और प्रबंधक द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। बीएसएल के पास भी इन भूमियों का स्वत्व विलेख नहीं है।

(क) कई वर्षों से 1133 भूखण्डों पर बीएसएल में उप पट्टे 1965 से प्रारंभ किए गए है। बीएसएल के भूमि आवंटन नियामावली के अनुसार, भूखण्ड धारक को पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई भी कारोबार करने की अनुमति दी गई थी सिवाय प्रतिबंधित कारोबारों के जिसके लिए बीएसएल से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 59 पट्टा धारकों ने प्रतिबंधित कारोबार बीएसएल से अनुमति प्राप्त किये बिना जैसे नसिंग होम/पैथोलोजी लैब /अस्पताल/क्लिनिक/डाग्नोसिटक सेन्टर चला रहे थे। राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इन प्रतिष्ठानों द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में जैव चिकित्सा और ठोस अपशिष्ठों की डंपिंग पर भी आपत्ति जताई थी। बीएसएल ने इन पार्टियों को नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए नोटिस (अगस्त 2015 और अक्टूबर 2015) में दिये थे और अनाधिकृत व्यापार/कारोबार को रोकने के लिए कहा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि अक्टूबर 2015 में नोटिस जारी करने के बाद भी अनाधिकृत व्यापार जारी रहा था, बीएसएल द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि इन पट्टा धारकों का पता लगाने के लिए एक नवीन सर्वेक्षण किया गया था जो बिना अनुमति के प्रतिबंधित कारोबार में लगे हुए थे।

उत्तर से अगस्त - सितम्बर 2015 से प्रबंधन की ओर से निष्क्रियता को संबोधित नहीं करता।

(ख) बीएसएल ने 1987 से 413 भूखण्डों को अनुमोदित योजनाओं और ड्राइंगों के अनुपालन में इमारतों के निर्माण के लिए पट्टे पर दिया। बीएसएल की मंजूरी के बिना बहुत से पट्टदारों ने अतिरिक्त फर्श का निर्माण किया था। बीएसएल ने 160 ज्ञात पट्टेदारों को अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए जुलाई 2011 में नोटिस जारी किया था। 10 पट्टेदारों ने अनाधिकृत निर्माण हटा दिये थे परन्तु बीएसएल ने शेष 150 पट्टेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिनके द्वारा अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाये गए थे।

प्रबंधन ने बताया कि (जनवरी 2018) कि शहरी विकास और आवंटन समिति की बैठक सितम्बर 2013 में आयोजित की गई थी और सभी सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही थी।

तथापि उत्तर 2013 के बाद से वहां पर की गई कार्रवाई एवं सिफारिशों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करता।

12.3.2.7 समझौते के बिना भूमि पट्टे पर देना

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना पट्टा समझौते किये बहुत संख्या में संयंत्रो ने भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति दी थी।

(क) डीएसपी ने एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) को मई 1984 से 33 वर्षों के लिए 233 एकड़ भूमि बिना पट्टे समझौते के आवंटित की। एनटीपीसी ने इस भूमि पर एक उपकेन्द्र का निर्माण किया और उप-केन्द्र के अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज और इसकी मुख्य भूमि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) को 1993-94 में हस्तातरित की एनटीपीसी से पट्टा प्रभार कभी वसूले नहीं थे लेखापरीक्षा में देखा गया कि पट्टा करार और भूमि मूल्यांकन के न होने के कारण डीएसपी इस भूमि पर वित्तीय लाभ नहीं उठा पाई थी। डीएसपी इस भूमि के लिए स्वामित्व भी नहीं रखता है।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि मौउजा के खतान संख्या की अनुपस्थिति में पट्टा करार को पंजीकृत नहीं किया जा सकता था और सरकारी प्राधिकरण से अपेक्षित डेटा प्राप्त करने के बाद उसे निष्पादित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संदेह में भूमि के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव पट्टा नवीकरण के लिए शुरू किया जाएगा।

प्रबंधन द्वारा जनवरी 2018 में इंगित किया हुआ स्वामित्व अभिलेखों और मूल्यांकन की अनुपस्थिति तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भूमि 1984 से पहले ही दी गयी थी।

(ख) बीएसपी ने 266283 वर्ग फुट भूमि (6.11 एकड़) कार्यालय भवन और आवास के निर्माण के लिए मई 1963/अप्रैल 1967 से पी एण्ड टी विभाग को (दिसम्बर 1965) 30 साल आवंटित की थी। बीएसपी ने आवंटन के समय कोई भी पट्टा करार नहीं किया था। यद्यपि इस भूमि के लिए इसमें स्पष्ट अधिकार था। प्रारंभिक आवंटन अवधि मई 1993/अप्रैल 1997 में समाप्त् हो गई थी। बीएसपी ने पी एण्ड टी विभाग को विलम्ब से एक मांग नोटिस (फरवरी 2008) भेजा था जिसमें कॉलोनी की जीर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए (अक्टूबर 2012) 16250 वर्ग फुट भूमि को वापस करने की स्वेच्छा व्यक्त की थी। बीएसपी ने ₹1.12 करोड़ लागू प्रभारों के रूप में और ब्याज की मांग (नवम्बर 2012) में 4.68 एकड़ भूमि के लिए की थी। इसी बीच में, भूतपूर्व पी एण्ड टी विभाग दो स्वतन्त्र संगठनों में विभक्त हो गया था अर्थात 'भारतीय डाक विभाग' और 'भारत संचार निगम लिमिटेड' और प्रभारों के भुगतान की जिम्मेदारी विवाद के अन्तर्गत आ गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि पट्टा नवीकरण के लिए नवम्बर 2000 में पट्टा करार के निष्पादन के लिए सितम्बर 1969/मार्च 1970 में प्रज्ञापन भेजे गए थे। भूतपूर्व पीएण्डटी विभाग के बटवारे के कारण, बीएसपी ने पट्टा नवीकरण प्रभारों पर काम किया और नवम्बर 2012 में संशोधित मांग जारी की थी।

उत्तर पट्टा समझौते के अन्तिमकरण और नवीनीकरण में प्रबंधन के निष्क्रियता को इंगित करता है जिसके कारण पट्टा प्रभारें की हानि हुई।

(ग) सेल बोर्ड ने भूमि प्रीमियम के भुगतान पर (प्राधिकृत मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन के आधार पर) 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) के लिए डीएसपी के तहत 126.15 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि डीवीसी ने 10 अप्रैल 2013 से भूमि का कब्जा लिया था, डीएसपी ने इसके मूल्यांकन को पूरा नहीं किया एवं पट्टे की प्राप्य राशि वसूल नहीं की है। भूमि का मूल्यांकन देरी से सितम्बर 2015 में किया गया परन्तु पट्टा करार का निष्पादन किया जाना अभी भी शेष है। डीएसपी के पास भी इस भूमि का स्वामित्व नहीं है।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि पट्टा समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

(घ) आईएसपी ने बिना किसी पट्टा /लाइसेन्स समझौते के 1977 में एक विद्यालय के लिए बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी को इसके नदी के किनारे टाउनशिप के लिए 19117 वर्ग फुट भूमि का आवंटन किया था। आईएसपी के पास अपनी भूमि के लिए

स्वामित्व था। जैसे ही विद्यालय की सुविधाओं का विस्तार हुआ विद्यालय ने अतिरिक्त भूमि का अतिक्रमण कर लिया। विद्यालय के कब्जे के तहत भूमि भी 5.32 एकड़ बढ़ गई थी। आईएसपी ने निष्कासन के लिए संपत्ति अदालत में सितम्बर 2016 में देरी से मामला दायर किया क्योंकि विद्यालय ने लाइसेंस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इसके नोटिसों का जवाब नहीं दिया था।

प्रबंधन ने बातया (जनवरी 2018) कि 2012 में विद्यालय से लाइसेंस समझौते के लिए कर्ता की जो निरर्थक रही और फरवरी 2014 से विद्यालय को अनाधिकृत अधिवासी के रूप में माना गया था। विद्यालय के साथ लाइसेंस समझौता करने के लिए प्रयास पुन: प्रारंभ किए गए थे।

तथापि, विद्यालय 1977 से लाइसेंस समझौते के बिना चल रहा था और यद्यपि इसे 2014 में अनाधिकृत अधिवासी के रूप में घोषित कर दिया गया था पर केवल 2016 में मामला दायर किया गया था। यहां तक कि आईएसपी ने स्टेट अदालत में निष्कासन के लिए मामला दायर किया था। पर इसे अधिकृत प्राधिकरण बनाने के लिए लाइसेंस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इस मामले को अतिक्रमण करने वालो से यह वार्ता कर रहा है जो प्रबंधन की कार्रवाई के विरोधाभास को इंगित करता है।

(ड.) डीएसपी ने पूर्वोत्तर रेलवे को यार्ड और निवास के लिए 1980 में 226.92 एकड़ भूमि आवंटित की थी। तथापि**,** वर्तमान तिथि (जनवरी 2018) तक कोई भी अधिकारिक समझौता नहीं किया गया यद्यपि भूमि का स्वामित्व डीएसपी के नाम पर था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि मामले को मंडलीय रेलवे प्रबंधन आसनसोल के पास निपटारे के लिए उठाया गया है।

12.3.2.8 पट्टा समझौते का अपालन

डीएसपी ने पश्चिम बंगाल पल्पवुड डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को पल्पवुड के वृक्षारोपण और फसल के लिए 1987 और 1989 के बीच 851.23 एकड़ भूमि आंवटित की थी। समझौते के अनुसार, समझौते की अवधि के दौरान (14 वर्ष) ₹50 प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष डीएसपी को देय था। पारस्परिक रूप से सहमत दर पर डब्ल्यूबीपीडीसीएल 25 *प्रतिशत* के बराबर राशि का भुगतान करेगा फसल के पूरा होने के बाद। वर्तमान में, 908.189 एकड भूमि डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा कब्जा की गई थी, जिसका शीर्षक डीएसपी के नाम पर है। लेखापरीक्षा में देखा गय कि डब्ल्यूबीपीडीसीएल ने ₹0.57 करोड़ (1987/1989 से 2011-12 तक) का भुगतान किया। डीएसपी डब्ल्यूबीपीडीसीएल को आवंटित भूमि पर

की गई वास्तविक फसल से अनभिज्ञ था जो 1987/1989 से भूमि आवंटित की थी। इसके अतिरिक्त पट्टा अप्रैल 2003 में समाप्त हो गया था और 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका नवीकरण नही कराया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि डब्ल्यूबीपीडीसीएल के साथ पट्टा नवीकरण (सितम्बर 2017) को लिया गया है और मामले की जांच की जा रही थी।

उत्तर में 1987/1989 से की गई खेती के लिए डब्ल्यूबीपीडीसीएल से प्राप्यों और 2011-12 से भुगतानो को प्राप्त न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

12.3.2.9 पट्टा नवीकरण में विलम्ब

सेल की नीति के अनुसार, नवीकरण की देय तिथि से एक वर्ष के अन्तर्गत नवीकरण शुल्क के भुगतान पर नवीकरण में देरी के प्रभारें का भुगतान किये बिना एक पट्टे का नवीकरण किया जा सकता है। यदि पट्टेदार एक वर्ष के अन्तर्गत इसका नवीकरण कराने में विफल रहता है तो पट्टा परिसरो में अधिवासी को अनाधिकृत मान लिया जायेगा और नियमों/कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित मामलो में, पट्टों का अनुबंधित समय के अन्तर्गत नवीकरण नहीं किया गया, जिससे परिणामस्वरूप कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।

(क) बीएसएल ने नागरिक सुविधाओं/बाजार परिसरों को प्रदान करने के लिए नवीकरण करने योग्य के आधार पर विभिन्न दलो को 1133 भूखण्डों को पट्टे पर दिया था यद्यपि बीएसएल इन भूमियों का शीर्षक नहीं रखता है। भूमि किराया, जल, विद्युत और सेवा प्रभार और नवीकरणीय शुल्क प्रबंधन द्वारा निर्धारित रूप में पट्टेदार से वसूली योग्य थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जहां 5 वर्ष पहले ही पट्टे समाप्त हो चुके थे ऐसे 274 मामलो सहित 31 मार्च 2017 तक 399 पट्टे समाप्त हो गए थे। परन्तु उनका नवीनीकरण नही किया गया था। 399 भूखण्डों में से 293 पट्टे का ही नवीकरण प्रक्रियाधीन था और पट्टे पर दिये गए भूखण्डो के मूल्यांकन के पूरा नहीं होने के कारण किसी भी मामले में नवीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। 120 मामलों में, यद्यपि पट्टा अवधि 31 मार्च 2016 में समाप्त हो चुकी थी, मूल्ययंकन प्रक्रिया जुलाई 2017 में पूरी की गई थी। इसके कारण बीएसएल इन 120 मामलों में से पट्टा प्रभारों के रूप में ₹19.25 करोड़[21] वसूल करने में सक्षम नहीं था।

---

[21] ***वाणिज्यिक भूखण्डो के लिए नवीकरण प्रभार कम्पनी द्वारा नियुक्त मूल्य निर्धारक की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ₹48.24 करोड़@ 25 प्रतिशत-₹12.06 करोड़ और गैर वाणिज्यिक भूखण्डो के लिए (₹71.94 करोड़ @10 प्रतिशत=₹7.19 करोड़।***

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि 106 भूखण्डों के लिए पट्टा नवीकरण (1 जनवरी 2018) पूरा कर लिया गया था और 36 भूखण्डों के लिए प्रक्रियाधीन था, जुलाई 2017 में 120 भूखण्डों के लिए मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था और 11 पट्टेदारों द्वारा ₹1.18 करोड़ जमा कराये गए है। इसके अतिरिक्त, संबंधित पट्टेदारों को विलम्ब प्रभारों के साथ नवीकरण प्रभारों के भुगतान के लिए नोटिस जारी किये गए थे।

(ख) लेखापरीक्षा में नोटिस किये गए पट्टा नवीकरण में विलम्बों के अन्य मामले नीचे तालिका में सक्षिप्त रूप में दिये गए है:

पट्टे नवीकरण में विलम्ब का सारांश

क्रम सं.	सयंत्र का नाम	दल का नाम	पट्टे के ब्यौरे	
			क्षेत्र (एकड़)	समाप्त हुआ
1	बीएसएल	35 शैक्षिक संस्थान (गैर-लाभ प्राप्त)	164.42	2004-2016
2		कृषि औद्योगिकीकरण और ग्रामीण रोजगार के लिए परिषद (सीएआईआरई)	4.77	2005
3	आरएसपी	पी एण्ड टी विभाग	12.68	1993-2017
4		10 विभिन्न दल	20.895	1993-2017
5	डीएसपी	22 विभिन्न दल	970.26	1999-2017
6	बीएसपी	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	0.41	2013
7	आईएसपी	आसनसोल नगर निगम	1.00	2009

इस प्रकार, पट्टे जो 1993 से शुरूआती दिनों में समाप्त होने के बाद भी नवीकरण के लिए शेष थे, यद्यपि बीएसएल और डीएसपी को छोड़कर इस्पात संयंत्रों ने उपरोक्त भूमियों का शीर्षक प्राप्त किया था। संबंधित दलों से लागू प्रभारों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए उनका नवीकरण करने के लिए संयंत्र प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त 7 मामलों में से 4 में, कम्पनी ₹6.83 करोड़ (31 मार्च 2017) वसूल नहीं सकी थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि:

- पट्टा नवीकरण के लिए सभी 35 संस्थानों के लिए पत्र जारी किये जा रहे थे।
- मासिक किराया आधार पर सीएआईआरई के साथ पट्टा किया गया था, परन्तु पट्टेदार ने कोई भुगतान नहीं किया था।
- बकाया देयों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए पीएण्डटी विभाग की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी।

- नवीकरण के दायित्व पट्टेदार का है, समाप्त होने वाले पट्टे के मामलों के नवीकरण कराने के लिए प्रयास किए जा रहे थे और कानूनी विकल्प केवल अंतिम उपाय के रूप में देखे गए थे।
- संपत्ति अदालत ने आईओसीएल के निष्पादन और देयों की वसूली के लिए आदेश 25 अक्टूबर 2017 को पास किये थे और इन परिसरों में विद्युत आपूर्ति को 21 नवम्बर 2017 में काट दिया था।
- आईएसपी ने आसनसोल नगर निगम से संबंधित मामले को मार्च 2010 में कॉरपोरेट कार्यालय को निर्दिष्ट किया था।

इन पट्टो के नवीकरण में हुए अधिक विलम्ब पर जवाब स्वीकार्य नहीं है।

12.3.3 टाउनशिप प्रबंधन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

टाउनशिप में आवसीय भवन, शोपिंग कम्पलेक्सों, सामुदायिक केन्द्रों, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल और सार्वजनिक बगीचे सम्मलित थे। टाउनशिप का निर्माण, उनका आगामी विकास और अनुरक्षण संयंत्र प्रबंधन का एकल उत्तरदायित्व था। संयंत्र प्रबंधक टाउनशिप में आधारभूत संरचना जैसे विद्युत और जल आपूर्ति सीवेरेज और सड़के इत्यादि भी उपलब्ध कराता है।

12.3.3.1 आवासों का अनाधिकृत आधिपत्य

31 मार्च 2017 तक, पॉच संयंत्रों के टाऊनशिप में आवासों की स्थिति नीचे तालिका में संक्षिप्त रूप में दी गई है:

31 मार्च 2017 तक टाऊनशिप में आवासों की स्थिति

सयंत्र का नाम	आवासों की संख्या					
	उपलब्ध	आवंटित	खाली	क्षतिग्रस्त/ अयोग्य	अनाधिकृत आधिपत्य	
					पूर्व कर्मचारी	अन्य
बीएसएल, बोकारो	37386	32005	3055	198	1934	194
बीएसपी, भिलाई	33638	29013	1915	1608	578	524
आरएसपी, राउरकेला	25541	21157	2602	1419	347	16
डीएसपी, दुर्गापुर	19141	17858	243	5	879	156
आईएसपी, बर्नपुर	7118	6232	82	779	5	20
कुल	**122824**	**106265**	**7897**	**4009**	**3743**	**910**

तालिका में जैसा देखा गया, 13.48 *प्रतिशत* आवास या तो खाली, क्षतिग्रस्त अथवा अनाधिकृत निर्माण के तहत थे (7897 आवास खाली थे, 4009 क्षतिग्रस्त थे और 4653 अनाधिकृत कब्जे के तहत थे)। बीएसएल और बीएसपी में अनाधिकृत कब्जे की परीक्षण की जांच से निम्नलिखित का पता चलता है:

- बीएसएल में, 194 आवास निजि दलों के अनाधिकृत कब्जे के तहत थे जबकि 1934 आवास दो वर्ष की स्वीकार्य आवधारण अवधि के अतिरिक्त पूर्व कर्मचारियों के द्वारा कब्जा किये गए थे। बीएसएल ने 478 आवासो के लिए संपत्ति अदालत में निष्कासन मामले दायर किये थे। यद्यपि संपत्ति अदालत ने 1999 से 2017 की अवधि के दौरान 198 मामलो में आदेश पारित किये थे, प्रबंधन निवासियो को निष्कासित करने के सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त, निवासियों ने विद्युत प्रभारों, जल प्रभारों और लाइसेंस शुल्को का भुगतान नहीं किया था।

- बीएसपी में, 578 पूर्व कर्मचारियों ने स्वीकार्य अवधारण अवधि के अतिरिक्त आवासों को रखा हुआ था, जिसके संबंध में बकाया देय ₹0.82 करोड़ तक पहुंच गई थी (30 जलाई 2017)।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि निष्कासन करने के लिए जिला प्रशासन को मामला भेजा गया था। प्रबंधन ने सूचित किया था कि बीएसपी में पूर्व कमर्चारियों और अन्य द्वारा आवासों के अनधिकृत कब्जे 567 और 446 क्रमश: कम हुए थे। डीएसपी में निष्कासन भी किए गए थे। आरएसपी में, 34 लोगों ने आवास खाली किये थे। आईएसपी में अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए पूर्व में कदम उठाये गए थे।

उत्तर को आवासो के अनधिकृत कब्जे के कारण संयंत्रों द्वारा निरंतर हानि वहन करने के संबंध में देखा जाना चाहिए।

12.3.3.2 पट्टे पर दी गई इमारतों में अनधिकृत निर्माण

पट्टे पर दिये गए भवनों के लिए सेल योजना (2001-02) के तहत कम्पनी के कर्मचारियों /पूर्व कर्मचारियों को 17500 आवास पट्टे पर दिये गए थे। बोर्ड बैठक (जुलाई 2008) के दौरान इन आवासो में लगभग 50 *प्रतिशत* अनधिकृत निर्माण पाया गया था और बोर्ड ने इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण के लिए नियमितीकरण को मंजूरी दी है, जो प्रतिस्थापन लागत के 150 *प्रतिशत* पर शुल्क के भुगतान के विषय के अधीन है। बीएसपी और बीएसएल में पट्टे पर दी गई इमारतो में अनधिकृत निर्माण लेखापरीक्षा में देखे गए थे।

(क) बीएसपी ने 2001-03 के दौरान भवनो को पट्टे पर दिए गए सेल योजना के तहत 4475 आवासों को पट्टे पर दिया था। एक निर्धारित समय के लिए, लगभग 70 *प्रतिशत* पट्टेदारों ने अनधिकृत निर्माण किया था। दिसम्बर 2013 में किये गए सर्वेक्षण से पता चला कि पट्टेदारों ने 26.82 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्र पर कब्जा किया था और 18.28 लाख वर्ग फुट का अनधिकृत निर्माण किया था। तथापि, बीएसपी ने बोर्ड के निर्णय को लागू नहीं किया (जुलाई 2008) क्योंकि इसमें रहने वाले अधिवासी हितधारकों से प्रतिरोध का समाना करना पड़ा था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि एक समिति ने अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण का पता लगाने के लिए अपनी रिपोर्ट /सिफारिशे सितम्बर 2017 में प्रस्तुत की थी और स्थानीय प्रबंधन और कॉरपोरेट कार्यालय से अनुमोदन लेने के लिए इस पर कार्रवाई की गई है।

(ख) दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी से किये गये समझौते (फरवरी 1987) के खण्ड 4 के अनुसार, बीएसएल विद्यालय चलाने के लिए टाऊनशिप में एक इमारत अस्थायी रूप से उपलब्ध कराएगा और डीपीएस द्वारा एक नई इमारत के निर्माण के लिए भूमि के एक भूखण्ड को अलग रखेगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- 30 वर्षों के बाद भी, डीपीएस ने अपने लिए इमारत का निर्माण नहीं किया और अस्थाई इमारत में अपना विद्यालय चलाना जारी रखा यद्यपि अक्टूबर 1988 में 8 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। डीपीएस को अपने लिए इमारत का निर्माण करने के लिए दबाव डालने के स्थान पर बीएसएल ने डीपीएस को एक ओर इमारत आवंटित कर दी और मौजूदा इमारत से विद्यालय चलाने की अनुमति दे दी थी। यह भी देखा गया कि डीपीएस ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन करते हुए बीएसएल की पूर्व सहमति के बिना विद्यालय परिसर में एक तरण ताल का निर्माण किया।

- बीएसएल ने डीपीएस को जल और विद्युत नि:शुल्क प्रदान किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विद्यालय में लगभग 70 *प्रतिशत* छात्र बीएसएल कर्मचारियों से संबंधित नहीं थे जिनसे पूरी फीस वसूली गई थी। यद्यपि बीएसएल ने (जून 2016) उपलब्ध कराई गई नि:शुल्क जल और विद्युत को वापस लेने की सूचना दी और आगे अक्टूबर 2016 से बिल बनाना प्रारंभ किया, डीपीएस ने बिलों का भुगतान

नहीं किया। इस संबंध में देय अक्टूबर 2017 तक ₹1.01 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रांची में सेल के लौह और इस्पात के अनुसंधान और विकास केन्द्र, रांची और राउरकेला डीपीएस क्रमश: से विद्युत प्रभारों की वसूली कर रहे थे।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि डीपीएस से संबंधित सभी मामलों और मौजूदा समझौते की समीक्षा के लिए नवम्बर 2017 में एक समिति का गठन किया गया था।

तथापि, प्राप्यों की वसूली न होने के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।

12.3.3.3 संपदा प्राप्यों की वसूली न होना

अपने स्वयं के कर्मचारियों के अतिरिक्त, संयंत्रों ने केन्द्र /राज्य सरकारो के कर्मचारियों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए भी आवासो को आवंटित किया था। पट्टेदारों से समय समय पर लागू दरों पर लाइसेंस शुल्क, विद्युत और जल प्रभार वसूली योग्य थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक ₹144.87 करोड़ की राशि का संपदा प्राप्य बकाया था। जिनमें से ₹63.64 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय से देय थे और ₹94.94 करोड़ निजी दलों से वसूली योग्य थे। नीचे तालिका में ब्यौरे दिये गए है:

31 मार्च 2017 तक बकाया संपदा देयो के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

पट्टेदार	बीएसएल		बीएसपी		आरएसपी		डीएसपी		आईएसपी		कुल	
	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय	कुल संपदा देय	> 3 वर्षों से अधिक देय
सरकारी दल	19.43	13.83	13.59	8.80	7.21	2.65	6.41	3.21	2.84	0.49	49.48	28.98
निजी दल	18.18	16.04	21.26	3.34	26.27	9.61	26.98	5.56	2.25	0.11	94.94	34.66
कर्मचारियों	-	-	-	-	0.01	-	0.44	-	-	-	0.45	-
कुल	**37.61**	**29.87**	**34.85**	**12.14**	**33.49**	**12.26**	**33.83**	**8.77**	**5.09**	**0.60**	**144.87**	**63.64**

** भवन किराया, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, लाइसेंस शुल्कों और अन्य संपदा देय सम्मिलित है।*

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि डीएसपी में, 30 सितम्बर 2017 तक बकाया प्राप्य ₹30.47 करोड़ से कम हो गए है जबकि आरएसपी ने 31 मार्च 2017 तक ₹33.49 करोड़

के बकाया में से ₹9.45 करोड़ वसूल लिए थे। यह सूचित किया गया था कि बीएसएल में (मई 2017) एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसने सभी चूककर्ताओं को नोटिस जारी किया था। बकाया प्राप्यो की वसूली के लिए सभी संबंधित दलों के लिए आइएसपी द्वारा मामले में कार्रवाई की गई थी।

बीएसएल में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे संक्षिप्त रूप से दिये गए है:

- बीएसएल ने अक्टूबर 2007 से तीन वर्षों के लिए होटल कक्षों के रूप में प्रयोग करने के लिए बोकारो निवास में 39 कक्षों को पट्टे पर देने के लिए मार्च 2008 में हंस रीजेंसी (एचआर) के साथ एक समझौता किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि समझौता समाप्त होने के बाद भी (अक्टूबर 2010) एचआर ने अपना कारोबार जारी रखा और पट्टे का नवीकरण (जनवरी 2018) नहीं कराया जबकि बीएसएल ने पट्टे के नवीनीकरण करने, एचआर से वसूलीयोग्य प्रभारों के लिए मासिक बिलों को बनाने और कब्जे को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। 31 मार्च 2017 तक वसूलीयोग्य बकाया प्राप्य ₹2.54 करोड़ तक बढ़ गई थी।

  प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि अनतल्ड प्राप्यों के जून 2017 में बिल बनाए गए थे और वर्तमान में बिल नियमित रूप से बनाए जा रहे थे।

  तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया देय राशि 30 नवम्बर 2017 तक ₹2.83 करोड़ तक बढ़ गई थी।

- 31 मार्च 2017 तक पुलिस पूल के अधिक्षक और जिला कमीश्नर पूल को क्रमश: आवंटित आवासो के संबंध में ₹6.27 करोड़ की राशि और ₹1.96 करोड़ की राशि बकाया थी।

  प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि सभी चूककर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया गया था।

- बीएसएल, चास शहरी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए चास नगर निगम को पेय जल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार आपूर्ति की गई जल की लागत के संबंध में वसूली योग्य ₹2.78 करोड़ में से सितम्बर 2000 तक ₹0.18 करोड़ बकाया था।

  प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि अक्टूबर 2015 से जल आपूर्ति को रोक दिया गया है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि बीएसएल ने इसकी जल आपूर्ति रोक दी थी, चास शहरी क्षेत्र में अन्य स्रोतों से चास नगर निगम द्वारा आपूर्ति जारी रखी थी, तथापि, प्राप्यों की वसूली संदेहस्प्रद है।

12.3.3.4 बोर्ड/कॉरपोरेट कार्यालय के निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं होना

(क) विद्युत प्रभारों की वसूली:

स्टील संयंत्र टाउनशिप को आपूर्ति करने के लिए संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) डीवीसी से विद्युत की अधिप्राप्ति कर रहा था। संयत्रों द्वारा खरीदी गई विद्युत की लागत कर्मचारियों से वसूली गई राशि की तुलना में बहुत अधिक थी। विद्युत सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए, सेल बोर्ड ने निर्णय लिया (मार्च 2002) कि टाउनशिप में कर्मचारियों का विद्युत आपूर्ति करने के लिए प्रभार्य दर 01 अप्रैल 2002 से प्रभावी संबंधित एसईबी की घरेलू टैरिफ की न्यूनतम दर के बराबर होगा। अभिलेखों की समीक्षा से पता चलता है कि आरएसपी, बीएसपी और बीएसएल ने बोर्ड के निर्णय का कार्यान्वयन किया था। डीएसपी ने 2002 से लागू एसईबी टैरिफ के अनुसार विद्युत प्रभारों की वसूली प्रारंभ की थी परन्तु 2014-15 से एसईबी द्वारा किए गए संशोधन नहीं किये थे। आईएसपी में, यद्यपि अक्टूबर 2016 में टैरिफ संशोधन किया गया था, संशोधित टैरिफ के अनुसार विद्युत प्रभार वसूले नहीं गए थे। परिणामस्वरूप आईएसपी और डीएसपी ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹7.91 करोड़ और ₹1.78 करोड़ की राशि तक का अनुचित लाभ अपने कर्मचारियों को दिया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि डीएसपी में, 2002 से अधिकारियों से और गैर अधिकारियों से 01 अप्रैल 2014 के बाद से एसईबी की निम्नतम दर पर विद्युत प्रभार वसूले गए थे। आईएसपी के अधिकारियों से डीवीसी दर के अनुसार और गैर अधिकारियों से मान्यता प्राप्त श्रमिक संघो के साथ किए समझौते के अनुसार ₹4.94 प्रति यूनिट की दर पर विद्युत प्रभार वसूले जा रहे थे।

उत्तर पुष्टि करता है कि 01 अप्रैल 2002 से बोर्ड के निर्णय को लागू नहीं किया गया था।

(ख) जल प्रभारों की वसूली

अलग-अलग इस्पात संयंत्रों के द्वारा जल प्रभारों को नियत करने में समानता नहीं होने को ध्यान में रखते हुए, सेल कॉरपोरेट कार्यालय ने तत्वकालिक प्रभाव से निर्धारित दरों[22] पर कम्पनी आवासों में जल प्रभारों को लगाने के लिए (4 अगस्त 2016) एक आदेश जारी

[22] ***1 बीएचके: ₹50 प्रति माह, 2 बीएचके: 75 प्रति माह, 3 बीएचके : ₹150 प्रतिमाह और 4 बीएचके और अधिक : ₹250 प्रतिमाह***

किया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीएसएल और आरएसपी ने निर्णय का कार्यान्वयन किया था। बीएसपी में, अधिकारियों के लिए कुछ प्रकार के आवासों में वसूली की दर निर्धारित दर की तुलना में कम थी। डीएसपी ने इस आदेश को कार्यान्वित नहीं किया और वर्तमान दरों (बीएचके आधार के स्थान पर आवास के प्रकार ₹20 और ₹70 प्रति आवास के बीच आधारित था।) पर जल प्रभारों की वसूली करना जारी रखा था। आईएसपी ने केवल अपने कार्यकारी कर्मचारियों पर आदेशों को कार्यान्वित किया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि डीएसपी टाऊनशिप में आवासों को स्तंभ आधार पर वर्गीकृत किया गया और बीएचके आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया था। आईएसपी में, निर्देशों के अनुसार जल प्रभारों में कटौती करने के लिए मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के साथ वार्ता चल रही थी।

12.3.3.5 पारेषण और वितरण हानि

बिजली संयंत्रों ने समान्य सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, अस्पताल, विद्यालय, क्लब आदि के लिए और टाउनशिप में रहने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की थी। प्रत्येक स्टील संयंत्र ने पारेषण और वितरण हानि के लिए मानदंड नियत किये थे। अभिलेखों की संविक्षा से पता चलता है कि बीएसएल, बीएसपी, डीएसपी, और आरएसपी में हानि उनसे संबंधित मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक थी। चार स्टील संयंत्रों[23] ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान मानदंडों से अधिक पारेषण और वितरण हानियों पर ₹371.93 करोड़ अतिरिक्त व्यय वहन किया था। ब्यौरे नीचे दिये गए है।

2014-15 से 2016-17 के दौरान पारेषण और वितरण हानियां

संयंत्र का नाम	मानदंड	वास्तविक	मानदंडों से अधिक	बेहिसाब अर्जन के कारण हानि
	(प्रतिशत)			*(₹ करोड़ में)*
आरएसपी, राउरकेला	8	50 से 75	42 से 67	193.24
बीएसएल, बोकारो	10-11	42 से 52	32 से 41	157.81
बीएसपी, भिलाई	7	12 से 15	5 से 8	15.35
डीएसपी, दुर्गापुर	7	10	3	5.53
आईएसपी, बर्नपुर	6	-	-	-
कुल				**371.93**

[23] ***विभिन्न रेट खंड के कारण वास्तविक हानि की गणना करना संभव नहीं है, इसलिए विद्युत लागत को ध्यान में रखते हुए गणना की गई है। आईएसपी प्रबंधन ने सामान्य सुविधाओं के तहत सभी टीडीएल (लगभग 42 प्रतिशत से 54 प्रतिशत) बुक किये थे जबकि आईएसपी के लिए कोई टीडीएल प्रदर्शित नहीं है।***

तालिका में जैसा देखा गया है, आरएसपी में पारेषण और वितरण हानि बहुत अधिक थी जो कि मानदंड से अधिक 42 *प्रतिशत* से 67 *प्रतिशत* के बीच थी, बीएसएल द्वारा 32 *प्रतिशत* से 41 *प्रतिशत* का पालन किया जा रहा था। अभिलेखों की समीक्षा से पता चला है कि:

आरएसपी में, विद्युत प्रभार को कर्मचारियों के स्व-घोषित अथवा पूर्वनिर्धारित एक समान दरों के आधार पर वसूले जा रहे थे, यद्यपि विद्युत मीटर सभी आवासों में लगाये गए थे। नवम्बर 2009 में अंतिम समीक्षा के अनुसार एक समान दरों को आवास के आधार पर नियत किया गया था।

बीएसएल ने पाया कि स्थानीय निवासी बिजली आपूर्ति का अवैध तरीके से आहरण कर रहे थे। अनधिकृत बिजली आहरण को नियंत्रित करने के लिए किए गए छापे में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि छापे मारने वाला दल के साथ अवैध उपभोक्ताओं के द्वारा बल प्रयोग किये गए थे। स्थानीय प्रशासन ने (फरवरी 2016) बीएसएल को इनको हटाए जाने के बाद एक बार फिर से अनधिकृत कनेक्शन को रोकने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा था परन्तु इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अनधिकृत उपभोग के कारण हानि काफी हद तक निरंतर बनी रही।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विषयों को देखा गया जो कि बीएसएल और बीएसपी में उच्च पारेषण और वितरण हानि को बढ़ा सकते है।

- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2013-16 के लिए निर्धारित बहु-वर्ष टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ता जो गैर घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करते है और 85.044 के वी से अधिक भार वहन करते है, उच्च विद्युत शक्ति (एचटी) उपभोक्ताओं के अधीन आऐंगे। बीएसएल ने अपने टाउनशिप में केवल सात एचटी उपभोक्ताओं की पहचान की है। चूंकि टाउनशिप में कई होटल, दुकाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम चल रहे है, इसलिए संभव है कि एचटी उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होगी।

- बीएसपी में, आवासीय इकाईयों और टाउनशिप में विभिन्न सार्वजनिक इमारतों में लगभग 34000 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश मीटर कार्य नहीं कर रहे थे अथवा मन्दगति के थे। इसलिए बिलिंग मानक/धारित उपयोग के आधार पर किया जा रहा था। जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2013 तक बीएसपी ने पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर के स्थान पर 20000 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरो को अधिप्राप्त और स्थापित किया था। यद्यपि

मई 2013 में 8000 इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटर की एक और खरीद का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको कार्यान्वित नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि आरएसपी द्वारा कर्मचारियों को सितम्बर 2016 से वास्तविक निर्माण के आधार पर विद्युत प्रभार लिया जा रहा था। बीएसएल टाउनशिप में अनधिकृत विद्युत कनेक्शन पारेषण और वितरण हानि को कम करने के लिए हटाये गए थे। बीएसएल टाउनशिप में एलटी से एचटी संपरिवर्तन की आवश्यकता वाले संस्थानों की पहचान की गई थी और संपरिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसपी के मामले में, 8000 ऊर्जा मीटरों के लिए खरीद आदेश 27 नवम्बर 2017 में दिये गए थे।

12.3.3.6 संपत्ति कर की वूसली न होना

संपत्ति कर भूमि मालिक के द्वारा स्थानीय सरकार अथवा नगर निगम का भुगतान की गई वार्षिक राशि होती है। किसी विशेष क्षेत्र का नगर निगम, वार्षिक अथवा अर्द्ध-वार्षिक संपत्ति कर का निर्धारण करता है और उसे लगाता है। कर की राशि क्षेत्र, निर्माण, संपत्ति के आकार, इमारत आदि पर आधारित है। चूकि संयंत्रों ने टाउनशिप की सभी इमारतो के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान किया है जिसमें किराए पर /पट्टे पर कर्मचारियों और अन्य लोगों को शामिल किया गया था, प्रत्येक किरायेदार से संबंधित अनुपातिक राशि को अन्य प्राप्यों के साथ वसूल किया जाना आवश्यक है। बीएसपी और डीएसपी में दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित पता चला:

- बीएसपी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान भिलाई नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में ₹36.27 करोड़ का भुगतान किया। चूंकि टाउनशिप के निवासियों की ओर से संपत्ति कर का भुगतान किया गया था, यह उनसे वसूल किया जाना चाहिए था। बीएसपी ने जून 2015 से संपत्तिकर की वसूली के लिए तीसरे पक्ष (गैर कर्मचारियों) से बिल बढ़ाना शुरू कर दिया था, परन्तु अपने कमचरियों से इसे वसूल करने का कोई निर्णय नहीं लिया, यद्यपि इसके कर्मचारियों के द्वारा कब्जे वाले आवासो के संबंध में व्यय का अनुपात ₹18.37 करोड़ (2011-12 से 2016-17) तक अधिक था।

- डीएसपी ने न तो तीसरे पक्ष और न ही अपने कर्मचारियों से संपत्ति कर वसूला यद्यपि इसके द्वारा 2011-12 से 2016-17 तक ₹6.69 करोड़ का भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2018) कि बीएसपी कर्मचारियों की ओर से संपत्ति कर का भुगतान कम्पनी नीति के अनुसार वसूला जाएगा।

उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष्य देखा जा सकता है कि कोई भी कम्पनी व्यापी नीति नहीं थी। उत्तर डीएसपी परिसरों में रहने वालो से संपत्ति कर वसूल करने में मौन था।

12.3.4 निष्कर्ष और सिफारिशें

12.3.4.1 निष्कर्ष

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास 101598 एकड़ भूमि है। सेल उपलब्ध भूमि का केवल 48.15 प्रति शत का शीर्षक करार रखता है। एक इस्पात संयंत्र अपनी सम्पूर्ण भूमि के लिए शीर्षक करार का अधिकारी नहीं था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 4016 एकड़ भूमि अतिक्रमण के तहत थी, जबकि 31 मार्च 2017 तक 16492 एकड़ खाली ओर अप्रयुक्त थी। अन्य 8500 एकड़ पट्टे पर थी। लगभग 50 *प्रतिशत* अतिक्रिमित भूमि एक इस्पात संयंत्र के पास थी।

जुलाई 2015/2016 में बोर्ड के निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई साइनबोर्ड/कांटेदार तार बाड़ लगाने/आहाता दिवार का निर्माण नहीं किया गया था। यद्यपि उसको इसके विषय में पता था और संपत्ति अदालत द्वारा निष्कासन आदेश पारित करने के बाद थी कम्पनी ने कब्जा करने वालो को निकालने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। कई मामलो में, कम्पनी के वर्तमान पट्टेदारों के अतिक्रमण करने और पट्टा धारक द्वारा अनधिकृत निर्माण करने और प्रतिबंधित कारोबार चलाने के उदाहरण है। कम्पनी अनेक पट्टेदारों के साथ औपचारिक पट्टा समाझौता करने में विफल रही, जबकि अन्य मामलो में वह वर्तमान पट्टो को नवीनीकृत करने में विफल रही।

पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के टाउनशिप में 122814 आवास थे जिनमें से 13.48 *प्रतिशत* 31 मार्च 2017 तक खाली, क्षतिग्रस्त अथवा अनधिकृत कब्जे के अधीन थे। 31 मार्च 2017 तक ₹144.87 करोड़ की संपत्ति प्राप्य बकाये थे जिसमें से ₹94.94 करोड़ निजी दलों पर बकाये थे। अपने कर्मचारियों से विद्युत और जल प्रभार वसूलने के बोर्ड के निर्णय को इस्पात संयंत्रों द्वारा पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। 2014-17 के दौरान पारेषण और वितरण हानि चार इस्पात संयंत्रों में मानदंडों से कही अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹371.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। संपत्ति कर की वसूली नहीं होने के कारण दो इस्पात संयंत्रों ने अपने कर्मचारियों/तीसरे पक्षों को क्रमश: ₹36.27 करोड़ और ₹6.69 करोड़ के अनुचित लाभ को भी बढ़ाया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का वित्तीय प्रभाव का अनुमान ₹596.18 करोड़ था।

12.3.4.2 सिफारिशें

लेखापरीक्षा ने कम्पनी/संयंत्रों द्वारा विचार करने और कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया।

- पट्टे की आय की प्राप्ति नहीं होने से बचने के लिए भूमि के आवंटन पर अथवा मौजूदा पट्टे की समाप्ति पर पट्टा समझौतो को तत्काल नवीनीकृत किया जा सकता है। कम्पनी परिसरों के सभी अतिक्रमण और अनधिकृत कारोबारो को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते है।

- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण तत्तकाल आधार पर किया जाना चाहिए। समयबद्ध ढ़ग से कम्पनी द्वारा सभी भूमि के शीर्षक करार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा सकते है। कम्पनी द्वारा शीर्षक करार के अनुरूप और कम्पनी के अभिलेखों और संबंधित राज्य सरकार के बीच विसंगतियों को सही करने के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जा सकते है।

- पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते है और प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पारेषण और वितरण हानि को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2018 में भेजा गया था, उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2018)।

12.4 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों के भुगतान के संबंध में परिहार्य व्यय

सेल द्वारा 2010-15 के लिए खनन योजना में टालडीह खान से उत्पादन की अवास्तविक प्रक्षेपण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों के लिए ₹10.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) लौह अयस्क के लिए कैप्टिव खदानों का संचालन करती है जो इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। खानों का प्रबंधन सेल के कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी) द्वारा किया जाता है। ओडिशा में बोनाई सीमा में स्थित खनन पट्टा (एमएल-130) तीन लौह अयस्क को कवर करता है यथा बरसूआ काल्टा और टालडीह। 1960 से बरसूआ लौह खदानों (बीआईएम) और काल्टा लौह खदानों (केआईएम) से लौह अयस्क का खनन किया गया। सेल ने भविष्य में उष्ण धातु

उत्पादन के उच्च स्तर के लिए लौह अयस्क की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए टालडीह लौह अयस्क भंडार को विकसित करने का निर्णय (2007) लिया।

ओडिशा सरकार (जीओओ) के साथ किए गए समझौते के माध्यम से 6 जनवरी 2010 से 5 जनवरी 2030 तक 20 वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टे (एमएल-130) को नवीनीकृत (नवम्बर 2014) किया गया था। पट्टा करार के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार निर्धारित किय गये थे और ओडिशा सरकार के राजपत्र अधिसूचना (जनवरी 2012) के अनुसार आकलन और भुगतान किया गया था, अनुमोदित खनन योजना में अनुमानित उच्चतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर भुगतान के लिए उपलब्ध किये गये थे। 2010-11 से 2014-15 के लिए अनुमोदित माइनिंग योजना को इस भुगतान के लिए आधार बनाया गया था।

सेल ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए एमएल-130 की खनन योजना (अप्रैल 2008) तैयार की थी, जिसमें रन ऑफ माइन (आरओएम) के 8.05 मिलियन टन (एमटी) के वार्षिक उत्पादन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें टालडीह लौह खदान (टीआईएम) से 4.25 मिलियन टन (एमटी) सम्मिलित थे। खनन योजना को जुलाई 2008 में इंडियन ब्यूरो माइन्स ने मंजूरी दी थी। वार्षिक उत्पादन अनुमानों के आधार पर, कम्पनी ने (नवम्बर 2014) में ₹89.74 करोड़ की स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का भुगतान किया था, जिसमें से 2010-11 से 2014-15 के लिए टीआईएम से अनुमानित उत्पादन के लिए यथानुपात राशि ₹10.79 करोड़[24] थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया -

1. टीआईएम के विकास के लिए अनेक पूर्व-अपेक्षित वस्तुएं थी। अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण करना आवश्यकता होगा। खनन योजना के लिए मंजूरी (जुलाई 2008) के बाद प्रबंधन पर्यावरण मंजूरी और दूसरे चरण की वन मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। मंजूरी के बाद, एप्रोच सड़क का निर्माण, प्राइमरों और सेकेंडरों क्राशिंग यूनिटका संस्थापन, वाशिंग संयंत्र, फलेट प्लांट, कन्वेयर प्रणाली, वैगन लोडिंग प्रणाली आदि के निर्माण के लिए विभिन्न सुविधाएं तैयार की जानी चाहिए। मेकान

---

[24] ***स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार है ₹89.63 करोड़ सतह के किराये को छोड़कर ₹0.75 करोड़। एक वर्ष के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार (89.63/20)=₹4.4815 करोड़ है। टलिहार से पांच वर्षों का अनुमानित उत्पादन (2.38 (पहले साल के लिए)+4.25*4)=19.38 एमटी है। अत: परिहार्य व्यय (₹4.4815 करोड़ / 81.05 एमटी)*19.38 एमटी=₹10.79 करोड़ है।***

द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट (अक्टूबर 2005) में अनिवार्य मंजूरी के लिए आवश्यक समय पर विचार किए बिना प्रमुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए 56 महीनों की समय सूची प्रस्तुत की थी। इस संभावना पर विचार करते हुए कि प्रबंधन को जनवरी 2010 तक अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने की सम्भावना थी और इसके तत्काल बाद सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा। खदान के विकास में लगभग पॉच वर्ष लगेगा। इस प्रकार, वर्ष 2010-15 से टीआईएम से 4.25 मिलियन टन अनुमानित वार्षिक उत्पादन अवास्तविक था।

2. 2010-15 के दौरान, टीआईएम में कोई खनन नहीं किया जा सकता था। 2015-20 के लिए खनन योजना में (सितम्बर 2015 में आईबीएम द्वारा अनुमोदित), एमएल-130 से अनुमानित उत्पादन 8.05 एमटीपीए रखा गया था, परन्तु टीआईएम से प्रति वर्ष 4.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष कम हो गया था, जब तक की टालडीह में खान की सुविधाओं को स्थापित नहीं किया जा सकता था।यहां तक कि टीआईएम से अनुमानित कम उत्पादन बीआईएम में जिसिएन सयंत्र संसंत्र की क्षमता बढ़ाने और सड़क द्वारा अयस्क के अस्थाई परिवहन के आधार पर किया गया था, जो कि शुरूआत में अनुमानित लंबी दूरी की कन्वेयर बेल्ट के विपरीत था।

3. टीआईएम से उत्पादन वास्तव में अक्टूबर 2016 से वन मंजूरी (मार्च 2013) और पर्यावरण मंजूरी (मार्च 2016) प्राप्त करने के बाद बीआईएम से खनन उपकरणों की सहायता से शुरू किया जा सकता था जहां खनन कार्य मई 2014 से उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रोक दिया गया था। 2016-17 में टीआईएम से 0.174 मिलियन टन आरओएम की अल्प मात्रा का उत्पादन किया जा सका जो अनुमानित वार्षिक उत्पादन का 8 *प्रतिशत* है। टीआईएम में अभी तक (अक्टूबर 2017) अभी तक कोई उपकरण खरीदा नहीं गया। खनन योजना 2015-20 में टीआईइएम में परिकल्पित उत्पादन स्तर के प्राप्त करने की संभावना कम है। इस प्रकार, इसके बाद की अवधि में, भी कम्पनी ने टीआईएम से उत्पादन का अवास्तविक प्रोजेक्शन किया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि 2008 में अनुमोदित एमएल-130 खनन योजना में खनन पट्टा अवधि 2010 से 2030 तक शामिल किया गया था। यह भी कहा गया था कि जनवरी 2010 तक वन मंजूरी प्राप्त होने की संभावना थी परन्तु वास्तव में यह मार्च 2013 में प्राप्त हो सकी और योजना में होने वाले कोई भी बदलाव में खनन योजना एवं क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए आगे समय लग सकता था।

प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार स्वीकार्य नहीं है:

(i) 2008 में अनुमोदित खनन योजना 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए थी और 2010 से 2030 के खनन पट्टा अवधि के लिए नहीं था।

(ii) खनन योजना 2010-15 में टीआईएम से अनुमानित उत्पादन के लिए कारणों के विषय में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है, यद्यपि यह ज्ञात था कि टीआईएम में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय (5 वर्षों) की आवश्यकता होगी, यद्यपि जनवरी 2010 तक प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुसार अनिवार्य क्लीयरेंज प्राप्त कर लिया जाता।

इस प्रकार, 2010-15 के लिए खनन योजना में टीआईएम से प्रतिवर्ष 4.25 मिलियन टन आरओएम के अवास्तविक प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप् स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति ₹10.79 करोड़ तक का परिहार्य व्यय हुआ। अनुमानित उत्पादन को प्राप्त करने की संभावना 2015-20 की खनन योजना के लिए दुरस्थ है। यह लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि करता है कि कम्पनी के उत्पादन की अवास्तविक प्रक्षेपण के कारण स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के भुगतान पर परिहार्य व्यय किया गया था।

यह मामला दिसम्बर 2017 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर अपेक्षित था (फरवरी 2018)।